

### "Under Jurisdiction of Bilaspur High Court Only" SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED

### OFFICE OF THE GENERAL MANAGER: SOHAGPUR AREA,

P.O. Dhanpuri – 484 114, Dist.: Shahdol (M.P.) Phone: (07652) 250302, Fax: (07652) 250882

SECL / SGP /GM Secy / /18 / 703

Dated: 07.10.2018

To
The Director IA-Coal Mining,
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road
New Delhi-110003

Subject: - ADS reply against Khairaha UG Mine

Dear Sir,

Please find enclosed herewith Additional Information for Khairaha UG Mine (0.585 MTPA to 0.819 MTPA) - expansion under clause 7(ii) of EIA notification 2006 as desired by EAC meeting held on 31<sup>st</sup> August, 2018. Details are as under:

(i) Public notice to be issued in leading newspapers (one national and two local) for information of the stakeholders about commencement of the project and present coal mining operations of capacity 0.585 MTPA in mine lease area of 470.872 ha, inviting comments and their redressal.

Public notice was published in Panjab Kesari Delhi (National paper) on 22<sup>nd</sup> Sept.2018, Rajexpress Jabalpur and Pradesh Today Jabalpur (Two local papers) on 21<sup>st</sup> Sept.2018. No comments are received. Copy of Paper publication attached.

(ii) Valid Mining Plan and the Mine Closure Plan duly approved by the competent authority,

Mining plan for Khairha UG (0.819 MTY) was approved by SECL Board in its 264<sup>th</sup> meeting on 25<sup>th</sup> Nov.2017. (Copy enclosed)
Mine Closure Plan was approved on 18<sup>th</sup> May.2013 (Copy enclosed).

(iii) Compliance status of the conditions stipulated in the environmental clearance dated 28th July, 2005 from the Regional Office at Bhopal.

RO MoEF, Bhopal has inspected Khairha UG on 9<sup>th</sup> May, 2018 and compliance status was submitted to Director, Monitoring Cell, MoEFCC, New Delhi vide letter No 3-41/2005(ENV)/304 Dated 18<sup>th</sup> June, 2018 (Copy enclosed).

(iv) Consent to operate from the State Pollution Control Board for the present mining operations.

Water and Air consent valid upto 28th Feb, 2019 (Copy enclosed).

(v) Forest clearance for the Revenue Forest land of 6.825 ha involved in the earlier mine lease.

No working has been done below the Revenue Forest Land (6.825 ha) which is in 05 small patches. A revised Mining Plan excluding Forest Land approved by SECL Board on 25<sup>th</sup> Nov 2017.

for Sub Area and



### "Under Jurisdiction of Bilaspur High Court Only"

# SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED OFFICE OF THE GENERAL MANAGER: SOHAGPUR AREA,

P.O. Dhanpuri – 484 114, Dist.: Shahdol (M.P.) Phone: (07652) 250302, Fax: (07652) 250882

(vi) Redressal of issues raised during the last public hearing conducted by the SPCB on 30th October, 2003.

Public hearing issues compliance report enclosed.

(vii) Coal production realized from the mine from 1994-95 vis-à-vis capacity stipulated in the environment clearance dated 28th July, 2005.

Coal Production started in financial year 2012-13, the details of coal production are as under:

S.N.	Year	EC/ consent* sanctioned capacity	Actual production (MTPA)	Excess production beyond the EC sanctioned capacity
		(MTPA)	0.022	NIL
1	2012-13	0.585	0.032	NIL
2	2013-14	0.585	0.106	
2.		0.585	0.167	NIL
3.	2014-15		0.170	NIL
4.	2015-16	0.585		NIL
5.	2016-17	0.585	0.246	NIL
	2017-18	0.585	0.585	IVID
6.	2017-10	0.2 00		

(viii) Details of court cases and the compliance status.

No any court case on the Khairaha UG.

This for your kind information

Yours faithfully

Encl.:- as above

General Manager

Sohagpur Area

### 601 MENIUI CIÓME MUI 6

THE REAL PROPERTY.

खनन कार्य निलंबित

करने के बारे में राज्य

सरकार के हालिया आहेश

न्यायालय के रिकार्ड के लिये पेश

किये। रोहतगी ने कहा कि यह

गैरकानूनी खनन का मामला नहीं है

और राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया

की सुनवाई कर रही है व्याचिकाकर्ता पूर्व नौकरशाह ईएएस सरमा के

वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि राज्य सरकार ने सिर्फ लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया है।

जबकि शीर्ष अदालत इस मामले

नयी दिल्ली, (भाषा): उच्चतम न्यायालय ने राज्यों से कहा है कि यदि शीर्ष अदालत में कोई मामला लंबित है तो उन्हें भयभीत नहीं होना चाहिए क्योंकि वह ''नरभक्षी टाइगर नहीं है।" न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने खनन से संबंधित एक रोहतगी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने

मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, ''हम टाइगर या ऐसा कुछ नहीं हैं। की टिप्पणी हम नरभक्षी टाइगर नहीं हैं उन्हें भयभीत नहीं होना चाहिए।'' न्यायालय ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब एक निजी फर्म की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी राज्य सरकार पर दबाव बनाने के इरादे से आंध्र प्रदेश में गैरकानूनी खनन का आरोप लगाते हये कंपनी के खिलाफ याचिका ु दायर की गयी है।आंध्र प्रदेश सरकार वकील ने ट्राइमेक्स समूह का

जपेयी के निधन पर देशव्यापी शोक के चलते अधर में लटके छात्रों के अवर न शह्य छात्रा की भविष्य को सुप्रीम कोर्ट ने राह दिखाई है। दरअसल, शोक के दौरान डाक पहुंचने में देरी के कारण 208 छात्र जज की परीक्षा में बैठने से महरूम रह गए थे। सर्वोच्च अदालत ने इन अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से परीक्षा में बैठने की डजाजत दी है। साथ ही डाक विभाग को बेवजह देरी का कारण बताने के लिए कहा है।

# की परीक्षा में

### २०८ छात्रों को जज बैटने की इजाजत **पूर्व प्रधानमंत्री** अटल बिहारी

किया। इसके कारण डॉक्टरों सहित छह लोग संचालक डॉ. बी के शर्मा ने युवती का 19 सितंबर को गर्भपात करा दिया और सबूत मिटाने के लिए भ्रूण को जलाकर नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस ने चार एमबीबीएस डॉक्टरों सहित 9 लोगों के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (बलात्कार), 120-बी, 201 एवं 313 के तहत बिलीआ थाने में मामला दर्ज किया है। भदोरिया ने बताया कि इनमें से तीन डॉक्टरों सहित छह लोगों को गुरूवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें शेल्टर होम संचालक डॉ. बी के शर्मा, उनकी पत्नी डॉ. भावना शर्मा, डॉ. विवेक साहू, रवि वाल्मीकि, गिरांज बघेल, मैनेजर जयप्रकाश

ग्वालियर, (भाषा): ग्वालियर में मूक-बधिरों के एक आश्रयगृह में 24

वर्षीय युवती से बलात्कार और बाद में उसका गर्भपात कराने के मामले

में चार डॉक्टरों सहित नौ लोगों के

खिलाफ मामला दर्ज किया गया है

इनमें से तीन डॉक्टरों सहित छह लोगों इनम स तान डाक्टरा साहत छह लागा को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। ग्वालियर के बिलौआ पुलिस थाना प्रभारी अमित भदोरिया ने शुक्रवार बताया, शेल्टर होम

शुक्रवार बताया, शेल्टर होम स्नेहालय में 24 वर्षीय मूक-बधिर

युवती के साथ शेल्टर होम के ही

चौकीदार साहब सिंह गुर्जर ने

लंबे समय तक बलात्कार

# नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

शर्मा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तीन आरोपी फरार हैं, जिनमें डॉ. पुष्पा मिश्रा, शेल्टर होम की वार्डन प्रभा यादव एवं बलात्कार का आरोपी

चौकीदार साहब सिंह गुर्जर शामिल हैं। उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं। भदोरिया ने बताया कि स्नेहालय नाम का यह शेल्टर होम ग्वालियर में झांसी राजमार्ग पर स्थित है। स्नेहालय का संचालन डॉ. बी के शर्मा और उनकी पत्नी डॉ.

भावना शर्मा करते हैं। इसे देश-विदेश से अनुदान भी मिलता है। उन्होंने कहा कि शेल्टर होम में रहने वाली सभी लड़कियों की मेडिकल जांच कराई जा रही है। भदोरिया ने बताया कि 20 सितंबर को महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी राजीव सिंह को सूचन मिली थी कि एक मक-बंधिर यवती से बलात्कार किया गया है। इसके बाद अधिकारी ने स्नेहालय जाकर जांच की। उन्होंने कहा कि जांच में बलात्कार पीड़ित युवती एक कमरे में बेहोशी की हालत में मिली।

### आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ५१ गांवों की पंचायत

एक गांव में छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर क्षेत्र के 51 गांवों की एक पंचायत शुक्रवार को जाहिदपुर के पर्व सरपंच हंसराज की अध्यक्षता में कोसली अनाज मंडी परिसर में हुई। पंचायत में आए वक्ताओं ने घटन की निंदा करते हुए पुलिस की का 1नद्य करते हुए पुरास का लापरवाही पर सवाल उठाते हुए मामले में लिप्त सभी बचे हुए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किए जाने तथा उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। इसके अतिरिक्त मामले में पीड़ित छात्रा को सम्मान जनक नौकरी दिए जाने तथा आरोपियों को पनाह देने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की है। पंचायत में डा. टीसी राव की ध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय संघर्ष समिति का भी गठन किया गया।

### अब चेन्नई हवाईअड्डे पर इंडिगो बस में आग

चेनई, (भाषा): चेनई हवाईअड्डा पर एक घरेलू उड़ान के यात्रियों को लाने के दौरान यहां इंडिगो एयरलाइंस की एक बस में आग



कोसली की अनाज मंडी में हुई पंचायत में मौजूद क्षेत्र के लोग।

जिसमें कै. रोहतास, प्यारे लाल, दष्यंत यादव, जगफल यादव, कै. सुभाष, यशपाल, वेदप्रकाश, विनोद बाला, कै. रामफल, हरीओम व मुकेश जाहिदपुर को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। पंचायत में गठित समिति सामाजिक कुरीतियों, शराब सेवन, दहेज, भ्रूण हत्या व विवाह में अनावश्यक दिखावे के

खिलाफ अभियान चलाएगी तथा माता-पिता को अपने बच्चों को नैतिक संस्कार देने के लिए जागरूक करेगी। पंचायत ने यह भी कहा कि पुलिस 24 सितंबर से पूर्व मामले में आरोपित सभी लोगों को गिरफ्तार करे अन्यथा संघर्ष समिति 24 सितंबर को कोसली तहसील के सामने धरना

### पश्चिम बंगाल नहीं मनाएगा

कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में 29 सितंबर को 'लक्षित हमला दिवस' मनाने का निर्देश भाजपा के एजेंडे का हिस्सा है और राज्य में शैक्षणिक संस्थान यह दिवस नहीं मनाएंगे। शिक्षा मंत्री चटर्जी ने भाजपा नेतृत्व वाले केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार थल सेना की 'छवि खराब करना और उसे राजनीतिक रंग' देना चाहती हैं। गौरतलब है कि सेना ने 29 सितंबर 2016 को नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादियों के सात ठिकानों पर 'लक्षित हमला' (सर्जिकल स्ट्राइक) किया था। यह लक्षित हमला उसी साल सितंबर में सेना के उरी स्थित शिविर में हुए हमले के जवाब में किया गया था।

### 'सर्जिकल स्ट्राइक दिवस' कोलकाता, (भाषा): पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी ने शुक्रवार को

### साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ''मिनी रल कम्पनी''

### जन सुचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खैरहा भूमिगत खदान की कोयला उ मता 0.585 मिलियन टन प्रतिवर्ष है एवं यह 472.872 हेक्टर माईनिंग लीज एरिया मे जार का भी सार्जिकल इस पर इस स्वाप्त का स्वाप्त को प्यानसणीय स्वीकृति पर्यावसण एवं वन पंतालय, नई दिल्ली हारा पर इस मेंक बैना1015/72/2004 [म. [] (एस) दिनांक 28.07.2005 को लिए स्पृत्र के दिल्ली होता पर को पर्वे हैं विश्वस्त होता से प्रवेश्वस्त प्रस्ताव स्वाप्त से प्रवेश्वस्त से प्रवेश्वस्त से प्रवेश्वस्त से से प्रवेश्वस्त से प्रवेश्व रंचालित हैं। उक्त खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली पूजाचा न दश भर का विश्वावद्यालयां और उच्च शिक्षण संस्थानों को गुरुवार को निर्देश दिया कि 29 सितंबर की तारीख को 'सर्जिकल न्यार को निर्देश निर्देश कि निर्देशनुसार बारी की जा रही हैं। इस्ताक्षर/-, महाप्रथन्धक

एस.ई.सी.एल. सोहागपुर क्षेत्र, पोस्ट-धनपुरी जिला-शहडोल, मध्य प्रदेश-484 114

### मासूम का चलती वैन में नाबालिग कंडक्टर ने किया यौन उत्पीड़न

वर्षीय एक बच्ची से चलती वैन में कंडक्टर द्वारा यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अयोध्या नगर थाना

प्रभारी बलजीत सिंह ने शुक्रवार

कार्यालय प्रमुख अभियंता

लोक निर्माण विभाग, अटल नगर

जिला-रायपुर (छ.ग.) (केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ) ई-प्रोक्यूरेमेंट निविदा सूचना

नेम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है:-

सिस्टम निविदा कार्य का नाम क्रमांक/दिनांक

43997 (दितीय आमंत्रण

44716 प्रथम आमंत्रण 17.09.2018

44734

17.09.2018

वेबसाइट में देखे जा सकते हैं।

Main Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

जिला राजनांदगांव के रानीसागर मजार से सर्किट हाऊस चौक तक सड़क लंबाई 1.50 कि.मी. का निर्माण कार्य,

जिला दुर्ग के ननकर्ठी से दनिया बोरी मार्ग लंबाई 4.675 कि.मी. (वास्तविक लंबाई 4.475 कि.मी.) का

उन्नतीकरणकार्य, पुल-पुलिया

निर्माण कार्य, पुल-पुलिया

निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक

विकास का वादा-मजबूत इरादा आपकी थी चाह, हमने बनाई राह

कार्य सहित । जिला रायपुर के भानसोज-जरीद कलई मार्ग लंबाई 8.00 कि.मी.

कार्य सहित।

को बताया कि गुरूवार दोपहर करीब दो बजे प्री - नर्सरी की बच्ची ने घर पहुंचने पर अपनी मां को इस घटना के बारे में उस वक्त बताया, जब वह उसे नहलाने के लिए ले गईं थी। पीड़िता की मां ने जब घटना के बारे में पूछा, तब

3

डाउनलोड करने की

09.10.201

08,10,201

1686.54

आरोपी को बृहस्पतिवार रात हिरासत में ले लिया गया। वहीं, 14 सीटों वाले वाहन का आरोपी कंडक्टर अपनी उम्र 17 साल बता रहा है और पुलिस उसकी उम्र का सत्यापन कर रही है।

### सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाना राजनीतिकरण नहीं : जावड़ेकर

नई दिल्ली, (वार्ता): देश के विश्वविद्यालयों में सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाये जाने को लेकर उठे विवाद के बीच मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने सर्जिकल

स्टाइक के राजनीतिकरण के आरोपों से इंकार करते हुए शुक्रवार को स्पष्ट किया कि इस दिवस को मनाना अनिवार्य नहीं है।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 19 तारीख को सभी . लपतियों को पत्र लिखकर सभी वविद्यालयों में 29 सितम्बर को सर्जिकल स्टाइक दिवस मनाने का इस पर सफाई देते हुए कहा कि 29 सितम्बर को सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह के दिन नेशनल केंडेट कोर (एनसीसी) की परेड हो और लात्रों को बताया जाये

कि किस तरह हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं, लाखों छात्र और संस्थान इसे सुनना

चाहते है। यह सेना की गरिमा बढ़ने और सर्जिकल स्टाइक की विशेषता बताने के लिए है। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कांग्रेस के आगेणें की तरफ ध्यान दिलाये जाने पर श्री जावेड़कर ने कहा, 'हम कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हैं।

क्या नोटबंदी का भी सर्जिकल स्टाइक दिवस मनाएगी युजीसी स्ट्राइक दिवस के रूप में मनाएं।क्या दिल्ली, (भाषा)ः विद्यालयों में 'सर्जिकल इसका मकसद लोगों को शिक्षित

न् ।दल्ला, (भाषा)ः विश्वविद्यालयों में 'सर्जिकल स्ट्राइक दिवस' मनाने संबंधी करना है या फिर भाजपा के राजनीतिक हितों की पूर्ति करना है?'' उन्होंने पूछा, ''क्या यूजीसी आठ नवंबर वेश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यजीसी) के निर्देश को नेकर कांग्रेस के वरिष्ठ यूजासा आठ (नोटबंदी का दिन) को लोगों की उनकी नेता कपिल सिब्बल ने लोगों की उनकी जीविकासे उपेक्षित किए शुक्रवार को सवाल कुक्रपार का संपाल किया कि क्या युजीसी आठ नवंबर को हुई नोटबंदी को भी 'सर्जिकल स्ट्राइक दिवस' के रूप में मनाने की हिम्मत करेगा। पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, ''यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है

स्ट्राइक दिवस' के तौर पर मनाएं। S-88844/3

### लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की हत्या

बहन को मनचलों से बचाने के प्रयास के बाद एक युवक पर सात लोगों ने बर्बर हमला करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि मृतक धर्मराज (25) यहां एक हौजरी

फैक्टरी में काम करता था। मुतक के पिता द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपी इंद्रजीत ने 17 सितंबर को गया जहां से उसे पटियाला भेज दिया गया। हालांकि वहां उसे धर्मराज के दोस्त की बहन से कथित रूप से छेड़छाड़ को मृत श्रेषित किया गया। लुधियाना पुलिस आयुक्त सुखर्चन सिंह जिसके बाद उनके बीच झगड़ा हो गया। लेकिन अगले दिन एक अन्य आरोपी गुरविंदर ने धर्मराज से कहा कि इंद्रजीत माफी

मांगकर मामला सुलझाना चाहता है। उन्होंने इलाके में ही देर शाम को मिलने का समय तय किया। वहां उनके बीच गरमागरम बहस हुई जिसके बाद आरोपी ने धर्मराज पर डंडों और इंटों से हमला कर दिया। एक इंट उसके सिर पर

मृत घोषित किया गया। लुधियाना पुलिस आयुक्त सुखचैन सिंह गिल के अनुसार, सात में से दो आरोपियों को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई

Sinter

शोपियां जिले में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए तीन पुलिस अधिकारियों के

पार्थिव शरीर को कंधा देते वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और उनके पास एक शहीद

की महिला परिजन विलाप करते हुए। (छाया : प्रेट्.)

श्रीनगर, (भाषा) जम्म कश्मीर पुलिस ने राज्य

के शोपियों जिले में शुक्रवार को शहीद तीन

पलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। आतंकवादियों ने पुलिसकर्मियों का अपहरण करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी। कश्मीर

के पुलिस महानिरीक्षक एसपी पाणि के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों

M.P. MEDICAL SCIENCE UNIVERSITY JABALPUR

CORRIGENDUM

TENDER FOR PRINTING AND SUPPLY OF COMPLETE ANSWER BOOKS (WITH PAPER WITH BAR CODED OMR SHEET AS COVER PAGE AND PRACTICAL ANSWER BOOKS

Last Date for the online tender No. Exam/2018/1484 Dated 27/07/2018 for printing and suppl complete answer books (with paper) with har coded OMR sheet as cover page and practical answer soks is extended 112.69/2018. The tender document and other information can be downloaded from the Madhya Pradesh concernent Portal. The last date and time for submission of bid is 26.99.2018 up to 05.60 PM. For our content Portal. The last date and time for submission of bid is 26.99.2018 up to 05.60 PM. For our content Portal and other relevant places refer he tender. Biddees who have already applied for Procurement I ligibility crit

need not to apply again. Im & Amendments for above NIT shall not be issued separately in my would be published on www.mpeproc.gov.in website only.

महिला हैल्प लाईन 1090/MPeCOP मोबाइल एप/डायल 100

हस्पासराः, मुख्य अभियंता (केन्द्रीय निविदत प्रकोच्छ), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

# FREE BIRD!

We are so sure you'll love our Chicken, that we are giving it away for free, Besides being delicious, our bird is certified to be free of harmful antibiotics by the top lab in Asia.

100% Cashback\*

₹125/500g



₹249/500g

₹69/500



र्डडी से जवाब-तलब **B388** एक विशेष अदालत ने धनशोधन मामले से घिरे हिमाचल

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रपरा पर वीरभद्र सिंह द्वारा कुछ अक्तूबर तक खास कागजात मांगे जाने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से

जवाब दाखिल

करने का

**नई दिल्ली,** (भाषा): दिल्ली की निदेंश दिया। अन्य आरोपियों में वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह, एल आईसी एजेंट आनंद चौहान आदि शामिल हैं।

ईडी की ओर से पेश विशेष सरकारी वकील एन के मट्टा और नीतेश राणा

ने कांस्टेबल निसार अहमद और विशेष प्रलिस

अधिकारी फिरदौस अहमद तथा कुलवंत सिंह के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किये।एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ''शोपियां

में जिला पलिस लाइंस में आतंक वाद के बर्बर

### मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, नई दिल्ली सागौन काष्ठ की नीलाम सूचना

म.प्र. शासन वन विभाग के कीर्तिनगर, नई दिल्ली स्थित टिम्बर डिपो में माह अक्तबर-2018 में नीचे दर्शाई दिनांक को प्रात: 11:00 बजे से सागौन काष्ठ का नीलाम किया जाएगा। इस नीलाम में मध्यप्रदेश के विभिन्न वन मंडलों से प्राप्त भारत की सर्वश्रेष्ठ 'सी पी. टीक' के गोल लट्ठों का विक्रय किया जाएगा। नीलाम में लाट छोटी-छोटी मात्रा के भी लगाए जाते हैं, जो भवन निर्माण, आंतरिक सज्जा या फर्नीचर के लिए उपयुक्त हैं। बड़ी मात्रा में क्रय करने के इच्छक व्यापारियों के लिए भी पर्याप्त अवसर हैं।

डिपो का नाम	वनोपज की अनुमानित	वनोपज का अनुमानित	नीलाम दिनांक
	मात्रा	मूल्य	एवं समय
मध्यप्रदेश टिम्बर डिपो,सी-1, डब्ल्यूएचएस, न्यू टिम्बर मार्किट, नए थाने के पीछे, कीर्तिनगर, नई दिल्ली-110015	सागौन काष्ट्र के गोल लट्टे घ.मी.=300 (लगभग)	अवरोध मूल्य रु. =3,20,00,000 (तीन करोड़ बीस लाख	03.10.2018 (बुधवार) 11:00 प्रात:

अधिक जानकारी के लिए दूरभाष क्रमांक:- 011-25939685 (डिपो कार्यालय) से कार्यालयी समय में सम्पर्क किया जा सकता है। क्रेता अपना पेन-कार्ड तथा पते के पृष्टिकरण अभिलेख नीलाम के दिन प्रात: 10.00 बजे आवश्यक रूप से रजिस्टेशन एवं अन्य औपचारिकताओं की

हस्ताक्षर/-, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (जन सम्पर्क एवं विक्रय) विक्रय डिपो, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, नई दिल्ली

तन-मन-धन सबसे ऊपर वन

महिला हैल्पलाइन

1090/MPeCOP मेबाइल एप/ डायल 100

### वीरभद्र के आवेदन पर छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.)

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचन eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in (प्रथम आमंत्रण) निविदा सूचना क्रमांक : 19/ब.ले.लि./ 2018-19 दिनांक 17.09.2018

निम्नलिखित कार्यों के लिये दिनांक 08.10.2018 (17.30 बजे) तक ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं: कार्यं की अनुमानित समृह निविदा क्र. 44301 ग्राम-धतुरा, जनपद पंचायत पाली के पास, लीलगर रु. 253,75 लाख नदी पर एनीकट का निर्माण कार्य।

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट https://eproc.cgstate.gov.in प

### ब्रीफ टुडे

### रीटी में गणेशोत्सव की धूम

तहसील मुख्यालय सं ग्रामीण क्षेत्रों में गणेशोत्सव की धूम मची हुई है, जगह-जगह वुलि विनायक भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं रखी गर्ड हैं। सुवह से देर रात तक भक्तगण गजानन की भक्ती में लीन नजर आ रहे है। इन दिनों रीठी नगर की गली-गली में भगवान श्री गणेश विराजमान है। जिसने दर्शन करने को भारी भीड उमड रही है। रीठी में स्थापित गणेश प्रतिमाओं के पंडालों की एक से बढ़कर एक सजावट की गई है। कहीं भगवान गणेश को सिंघसान में बैठाया गया है तो कहीं थर्माकोल के मंदिर में बैठाकर पूजा-पाठ की जा रही है।

### हादसे में अधेड घायल

कटनी। रीठी बाईपास पेट्रोल पंप के सामने सुरेन्द्र सिंह पिता गुमान सिंह मराबी उम्र 50 साकिन रैपुरा को अज्ञात वाहन चार पहिया का चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक खतरनाक तरीके से वाहन चलांकर चोट पहुंचाई। शिकायत पर पुलिस ने मामला कायम कर लिया है।

### दर्जन भर जुआरी गिरफ्तार

कटनी। कुठला पुलिस लारा आरोपी हीरालाल आदिवासी, गेंदलाल आदिवासी एवं भारत आदिवासी निवासी दलीपुर को जुआ खेलते पकड़ा गया जिनसे 140-रूपये नगद व ताशपत्ती जप्त कर थाना कुठला में धारा 13 जुआ एक्ट का पंजीबद्ध किया गया।वहीं आरोपी रिखीराम डुमार, बल्ली अहिरवार एवं अनिल परौहा निवासी राममनोहर लोहिया वार्ड को जुआ खेलते पकड़ा गया, जिनसे 530 रूपये नगद व ताशपत्ती जप्त धारा 13 जुआ एक्ट का पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी राजेन्द्र बर्मन, महेन्द्र बर्मन को जुआ खेलते पकड़ा गया, जिनसे 410-रूपये नगद व ताशपत्ती जप्त कर मामला दर्ज किया गया।

### बहाल हुये गौतम

कटनी । भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सांसद राकेश सिंह ने भाजपा नेता पद्मेश गौतम की सदस्यता बहाल कर दी है।भाजपा जिलाध्यक्ष पीताम्बर टोपनानी बताया कि पद्मेश गौतम की सदस्यता गत सहडोल संसदीय उपचुनाव में स्थगित कर दी गई थी, जिसे प्रदेश संगठन ने बहाल कर दिया है।

### वॉलीबॉल प्रतियोगिता 11 से

कटनी। म. प्र. एम्योचोर व्हॉलीबॉल संघ लारा राज्य स्तरीय जुनियर व्हॉलीबॉल की मेजबानी डायमण्ड स्कल एवं जिला व्हालीबॉल संघ कटनी को दी गई है। तदाशय की जानकारी देते हुए जिला व्हालीबॉल संघ अध्यक्ष पीताम्बर टोपनानी ने बताया कि 45वीं जूनियर राज्य स्तरीय व्हॉलीबॉल चैम्पियनशिप के मैच डायमण्ड विद्यालय खेल परिसर में 11 से 14 अक्टूबर 2018 तक संपन्न कराये जावेंगे।

### सरकार ने सिर्फ घोषणा कर लूटी वाहवाही, किया छलावा

कटनी। सरकार ने शिक्षकों के साथ छलावा किया है। अध्यापकों को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन करते हुए सभी अलग-अलग कैंद्रर समाप्त करने की घोषणा से पीछे हटने, नवीन कैडर प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक बनाते हुए सरासर अपनी कथनी एवं करनी में भेद प्रमाणित किया है। इसी प्रकार सहायक शिक्षकों, शिक्षकों, व्याख्याताओं की पदोन्नित की घोषणा. अतिथि शिक्षकों को अनुभव एवं योग्यता के आधार पर सेवा में स्थान की घोषणा, स्थानांतरण नीति लागू किये जाने आदि की सिर्फ वाह-वाहीं लूटने के लिए मात्र घोषणाएं हुई हैं किसी के भी आदेश नहीं हुए। 2 अक्टूबर मंगलवार को गांधी जंयती के अवसर पर सभा का आव्हान किया है।

### मकानों के निर्माण में शासन प्रशासन की अपील को ठुकरा रहे लोग

# तिइत चालक में आमजन को कोई रुवि नहीं



पदेश टडे संवाददाता कटनी

घरों के आसपास भूजल स्तर सामान्य बनाये रखने में काफी मददगार सोख्ता और आकाशीय बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदा में खतरा टालने वाला तड़ित चालक दोनों के प्रति जनसामान्य की खली अरूचि देखी जा रही है। कहने के लिये तो शहरी क्षेत्र में ही एक साथ सैकड़ों मकानों का निर्माण चल रहा है, लेकिन मामली खर्चे में लाभकारी इन दोनों नियमों को अमल में लाने वालों की तादाद नाकाफी है। गौरतलब है कि समय असमय कहीं न कहीं आकाशीय बिजली गिरती है। मामूली खर्चे में वैज्ञानिक उपाय अपनाने से ऊंची इमारतों में कम से कम बिजली गिरने की इस प्राकृतिक आपदा को भी टाला जा सकता है, लेकिन इस बारे में भरपूर जानकारी और पूरी समझ रखने के बावजूद लोग नजरदांज कर रहे है। हैरानी की बात तो यह है कि जनसामान्य के अलावा बिल्डर भी तड़ित चालक

घर पर इस प्राकृतिक आपदा का खतरा मंडरा रहा है। अब तक निर्माणाधीन भवनों में इन उपायों को अमल में लाने से कई बार होने वाली अनहोनी को टाला जा सकता है लेकिन जवाबदेह भी लोगों को जागरूक करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। बारिश के दिनों में आये दिन बिजली कड़कती है। ऐसे में शहर आकाशीय बिजली में खतरा से निबटने के लिये तैयार नहीं है। भवनों में कीमतों के मुकाबले तिहत चालक लगाने का खर्च नगण्य है बावजुद इसके लोग इसे नहीं अपना रहे हैं।

### निर्माण में है आसान तकनीक

उद्धेखनीय है कि तड़ित चालक के लिये भवन के सबसे ऊपरी हिस्से में धातु की छड़ लगाई जाती है। जिसका सबसे ऊपरी हिस्सा नुकीला होता है। जिसे कंडक्टर कापर के जरिये जमीन में अर्थिंग प्लेट से जोड़ दिया जाता है। अर्थिंग प्लेट के लिये जमीन में 3-4 फीट गड़ढ़ा में कोयला डालकर स्थापित किया जाता है। आकाशीय तरंगे बादलों की टकराहट से उत्पन्न होती है। फिर बिजली जब भवन पर गिरने वाली होती है तो तड़ित चालक के माध्यम से होती हुई जमीन में चली जाती है और भवन को कोई नुकसान नहीं पड़ता है।

### टाली जा सकती है क्षति

जानकार यह भी सावधानी बताते है कि किसी भी भवन की छत पर कालम की सरिया खुला न छोड़े, सरिया को कांक्रीट या ईंट के जरिये जोड़ा जाये। बिजली कड़कने पर फ्रिज, टीवी जैसे उपकरणों को बंद कर दें, प्लग निकाल दें,

हो।इन तमाम सावधानियों को आदत में शमार कर लेने से कई बार अकाल मौत या जानलेवा अनहोनी से बचा जा सकता है। लेकिन लोग अपनी पारंपरिक सोच और दायरे से बाहर नही निकल पा रहे है। कई बार तो लोग पचासों लाख का भवन निर्माण करने में नहीं हिचकते तथा सौन्दर्य सामग्री पर दिल खोलकर खर्च करते है लेकिन उन्हें तडित चालक जैसी सावधानी से अवगत कराया जाये तो वे सामने वाले पर ही पिल पडते है। फिर ज्ञानी बन जाते है। यह कहने से भी नहीं चुकते कि यहां अमर होने आया है। एक न एक दिन तो मरना ही है। यदि बिजली गिरने से ही मौत होती है कि भला कौन टाल सकता है।

### हर साल बढ़ रहा मौत का आंकडा

पुलिसिया आंकड़े किसी से छिपे नही। अभी बारिश पूर्व ही बड़वारा के नन्हवारा सेझा, विजयराघगढ़ ढीमरखेड़ा सहित अन्य थाना क्षेत्रों में कही घरों तो कही खुले में आकाशीय बिजली गिरने से कही जान गई कोई अपंग होकर घर बैठ गया। यह बात भी सही है कि अनहोनी कम ही टलती है लेकिन बात जब उंचे भवनो की सुरक्षा की हो या उन बहुमंजिला भवनों की जिनमें एक साथ सैकडो परिवार निवासरत है उनमें यदि कम से कम तड़ित चालक का उपयोग किया जाये किसी एक व्यक्ति या परिवार नहीं बल्कि वहां निवासरत सैकडो जिंदगियों को बचा जा सकता है। इस बारे में लोगो को जागरूक होने की जरूरत है। यहां काम तो प्रशासन भी भलीभांति कर सकता है लेकिन कही से कोई किसी की भी रुचि नजर नही आ रही।

### ताठा जनवर्ष के बाज़ा का बाबला आरोपी पर दर्ज हुआ अपराध

प्रदेश टुडे संवादाता, कटनी

योजना से जुड़ी जानकारी देने में आनाकानी किये जाने पर पंचायत कार्यालय में जमकर हंगामा हो गया। गुस्से में आग बबूला ग्रामीण ने न सिर्फ पंचायत कर्मी पर वहीं रखा पेपर पटक दिया, बल्कि थप्पड़ मारकर सरेआम अपमानित किया। मारपीट की यह घटना रीठी थाना क्षेत्र के पोड़ी पंचायत की है। अन्य थानों में मारपीट के चार अन्य मामले दर्ज हये है।

जानकारी के अनसार पंचायत कमी 29 वर्षीय नीरज श्रीवास्तव पिता आनंद प्रकाश श्रीवास्तव के साथ सुरेश पिता रामविशाल यादव ने मारपीट की। इस मामले में नीरज की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294, 323, 506 के तहत मामला कायम किया है।

माधवनगर थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया स्थित श्मशान रोड में नंदिकशोर पिता रामप्रसाद श्रीवास के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने मारपीट की। मारपीट के इस मामले में पीडित की शिकायत पर पलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध कायम किया है। स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम तिहारी में साधारण सी बात को लेकर दो लोगो के बीच हये आपसी विवाद में एक ने दूसरे के साथ मारपीट की। इस मामले में जगन्नाथ हल्दकार की शिकायत पर पुलिस ने मोहन विष्वकर्मा के खिलाफ धारा 294, 323,506 के तहत मामला दर्जिकया है। बरही थाना क्षेत्र के ग्राम गैरतलाई में कमलेश बर्मन पिता ताराचंद बर्मन नामक 30 वर्षीय युवक के साथ मारपीट के आरोप में पुलिस ने राजेश बर्मन, अजय बर्मन के खिलाफ धारा 294, 323, 324, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

### यात्रा में थमी युवक की सांसें

कटनी। संघमित्रा एक्सप्रेस में सफर कर रहे युवक के जीवन का सफर बोगी के अंदर ही थम गया। युवक को सफाई कर्मचारियों ने बोगी के अंदर मृत पड़े देखा और इसकी सूचना रेल पुलिस को दी। रेल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी जिला सतना के उचेहरा थाना अंतर्गत गाम बरा निवासी 32 वर्षीय धर्मेंद पिता इंद्रपाल द्विवेदी संघमित्रा एक्सपेस में सफर कर रहा था। सफर के दौरान ही उसे सीने में तेज दर्द हुआ और वहीं बेहोश होकर गिर गया।

### आदतन अपराधी का जिलाबदर

केवीएस चौधरी ने माधवनगर थाना अंतर्गत एसीसी कॉलोनी कटनी निवासी आदतन अपराधी राहल वंशकार पिता रामाश्रय वंशकार उम्र 20 वर्ष को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की सीमा से 6 माह की अवधि तक के लिये जिला बदर कर दिया है। जिला दण्डाधिकारी चौधरी लारा पारित आदेश में कहा गया है कि आदेश के

अनावेदक राहल वंशकार, कटनी जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवती जिले जबलपर, सतना, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 6 माह के लिये बाहर चला जाये तथा इस अवधि में बिना इस न्यायालय की लिखित अनुमति के इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यदि किसी न्यायालय में कोई दाण्डिक प्रकरण चल रहा हो, तो नियत पेशी पर थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देकर उपस्थित हो सकेगा।

### सामान्य वर्षा वाले जिलों में कटनी शामिल

कटनी। मध्यप्रदेश में इस वर्ष मानसून में एक जून से 20 सितम्बर तक 6 जिलों में सामान्य से 20 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश के 36 जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज हुई है। कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 9 है। सर्वाधिक वर्षा 1071.3 मिलीमीटर उमरिया में और सबसे कम 473.8 मिलीमीटर अलीराजपुर में दर्ज की गई है। सामान्य वर्षा वाले जिले कटनी जबलपुर, खण्डवा, बुरहानपुर, सीधी, रायसेन, गुना, ग्वालियर, रतलाम, बडवानी, छत्तरपुर, दमोह, रीवा, झाबुआ, म्सागर, उज्जैन, भोपाल और आगर–मालवा शामिल हैं।

### विसर्जन घाटों में विशेष व्यवस्थाओं के निर्देश

### महापौर व निगमायुक्त ने किया मार्गों का निरीक्षण

गणेश महोत्सव पर्व के मौके पर महापौर शशांक श्रीवास्तव ने विशेष प्रकाश, जल एवं सफाई व्यवस्था कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। रविवार 23 सितम्बर गणेश विसर्जन को दृष्टिगत रखते हुए महापौर, निगमायुक्त टी.एस.कुमरे ने नगर के समस्त विसर्जन घाटों गाटर घाट, मसुरहा घाट, मंगलनगर घाट, मोहन घाट, मदन मोहन चौबे वार्ड स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आपने विसर्जन स्थलों पर स्थापित किये जानें वाले कुण्डों का भी निरीक्षण किया तथा कुंडों की गहराई एवं उसके पानी के संबंध में उपस्थित अधिकारियों से जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किये।

महापौर ने न्यायालय के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के परिपालन में गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु निर्मित कुण्डों में पानी की समुचित व्यवस्था एवं पूजन सामग्री आदि के विसर्जन में विशेष ध्यान रखा जावें । विसर्जन घाटों पर समुचित सफाई व्यवस्था एवं चुने की लाइनिंग व

कीटनाशक दवाओं का छिडकाव किया जावें। जलस मार्ग में समचित प्रकाश व्यवस्था, बंद पडे प्वइंटों को शीध्र चालू करानें की व्यवस्था एवं विसर्जन घाटों पर विशेष अस्थाई प्रकाश व्यवस्था, पेयजल हेतु टेंकर व्यवस्था के साथ ही मार्ग के अतिक्रमण को हटानें, आवारा जानवरों की रोकथाम किये जाने के निर्देश प्रदान किये।

गणेश विसर्जन के पर्व मोहनघाट, मसरहाघाट, गाटरघाट, एवं नदी के अन्य घाटों, दुगाडी नाला माधवनगर, में आवश्यक आवश्यकतानुसार मुरूम डलवाये जाने, एवं जुलूस रूट में यदि गड्ढे हों तो उन्हे फिलिप कराये जाने, तथा मोहनघाट, मसुरहाघाट, गाटर घाट में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बांस बल्लियों से बेरीगेटिंग का कार्य कराये जाने के निर्देश प्रदान किये है।

निरीक्षण के दौरान मेयर इन काउन्सिल सदस्य १ अभिषेक ताम्रकार, नगर निगम ब्राण्ड एम्बेस्डर मारूफ अहमद हनफी कायपीलन यंत्री राकेश शर्मा, उपयंत्री सुनील सिंह, आदेश जैन, हैंड दरोगा तेजभान सिंह, देवी मिश्रा आशीष बिलैया, रमसेवक बर्मन, एवं स्वास्थ्य विभाग

## कैसे करें मतदान, लोगों को कराया ज्ञान

### ईवीएम व वीवीपैट की दी गई विस्तृत जानकारी

कटनी। मतदाता जागरुकता को लेकर जिलेभर में स्वीप के तहत गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा आम चुनाव में ईवीएम के साथ पहली बार उपयोग किए जा रहे वीवीपैट मशीन के संबंध में मतदाताओं को जानकारी देने के लिए जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों तथा सार्वजनिक स्थलों पर ईवीएम तथा वीवीपैट का प्रदर्शन किया जा रहा है। मतदाताओं को ईवीएम तथा वीवीपैट से मतदान करने की प्रक्रिया भी बताई जा रही है। जिला निवार्चन अधिकारी के निर्देशन में चलाये जा रहे इस मतदाता जागरुकता अभियान के तहत बीआरसी स्तर पर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें इस कार्य के लिये 6 दलों का गठन किया गया है। प्रत्येक दल लारा प्रतिदिन 4 मतदान केन्द्रों पर पहुंचकर मतदाताओं को ईवीएम व वीवीपैट मशीन की जानकारी विस्तार पूर्वक मतदाताओं को प्रदान करा रहे हैं।

स्वीप दल ने झण्डा बाजार कटनी, बरही स्थित पुरानी नगर पालिका, रीठी अंतर्गत बिलहरी बस स्टेण्ड और ढीमरखेड़ा के दशरमन में गणेश पण्डालों में पहुंचकर ईवीएम व पीपीपैट मशीन का प्रदर्शन किया। वहीं महाविद्यालय स्तर पर जिले के समस्त महाविद्यालयों में मानव श्रृखला प्रतियोगिता का भी

९० रूपये प्रति लीटर पहुंचे पेट्रोल के दाम, आम-खास सब नाराज



आयोजन किया गया। इस दौरान मतदाताओं ने ईवीएम व वीवीपैट की कार्यप्रणाली जानी।साथ ही उन्हें मतदान करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। जिसके बाद मतदाताओं ने स्वयं आगे आकर ईवीएम मशीन पर मॉकपोल करते हुये वीवीपैट में दिखने वाली पर्ची को देखा।

### हजारों की अवैध शराब सहित कई हुए गिरफ्तार

**कटनी ।** उमरियापान में खिलावन पटेल निवासी ग्राम पोंडीखुर्द से 24 पाव अवैध शराब जप्त की जाकर आरोपी के विरूद्ध धारा ३४(ए) आबकारी एक्ट कायम किया गया। विजयराघवगढ़ पुलिस लारा आरोपी बल्लू भुमिया निवासी रजरवारा से 25 पाव अवैध शराब कीमती 1500 रूपए जप्त की जाकर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(ए) आबकारी एक्ट कायम किया गया।आरोपी संतोष कोल निवासी सिंघनपुरा से 20 पाव अवैध शराब कीमती 1200 रूपये जप्त की जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना वि०गढ में 34(ए) आबकारी एक्ट कायम किया गया।आरोपी विजय शंकर जोशी निवासी लालनगर कैमोर से 13 पाव अवैध शराब कीमती 650 रूपये) जब्त की ।

### साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड "<sup>भनी रल कमानी</sup>"

ः सूचना ःः

एसईसीएल में स्पॉट ई-आक्शन के माध्यम से सितम्बर 2018 (159 ई-आक्शन) में रोड द्वारा 153000 टन नॉन कोकिंग कोल बिक्री करने का निर्णय लिया है। एसईसीएल ने एसईसीएल की ओर से दिनांक 25 सितम्बर 2018 को स्पॉट ई-आवश्यक के संचालन के लिये सेवा प्रदायकर्ता को निम्न विवरण के अनुसार नियुक्त किया है।

दिनांक	मोड	उत्पाद	सेवा प्रदाता
25.09.2018	रोड	नॉन-कोकिंग कोल	एमजेएस लिमिटेड

अन्य जानकारी एवं विवरण के लिये खरीददार को सलाह दी जाती है कि उपर्युक्त सेवा प्रदायकर्ताओं व एसईसीएल से संबंधित वेबसाईट का अवलोकन करें।स्पॉट ई-आक्शन के माध्यम से उपर्युक्त संदर्भित कोयले के बिक्री की नियम व शर्तों के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट का (www.coalindia.in) अवलोकन करें

88843/3



है। रोक लगाने को कोई उपाय नहीं हो रहा है। तेल की कीमतों को काबू में करने के लिए बढ़ते दामों ने गरीब तबके के लोगों का बजट ही बिगाड़ दिया। बड़वारा निवासी रामलाल का जहां गृहड़ियां भड़की हुई हैं। वही

### कैसे चले गृहस्था



ः जन सूचना ः

सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि खैरहा भगिगत खदान को कोयला उत्पादन क्षमत

एक पखवाडे से रोजाना तेल के दाम बढ रहे है।

### एक्सप्रेस न्यूज

### भजन संध्या की तैयारी पूरी

उमरिया कुड़ारी। नवीन गोकुलधाम गणेशोत्सव सिमिति के द्वारा नगर के शारदा चौक बेदी नगर के निवासी विनोद निराला का कार्यक्रम रखा गया है, यह कार्यक्रम सोमवार को है रात्रि नौ बजे से कार्यक्रम गणेश वंदना के साथ शुरू होगा, इसके बाद भजनों की संध्या



होगी। सिमिति के सदस्य राज उपाध्याय, मुकेश रजक, आशीष सेन, बबलू तिवारी, शुभम सेन, अंकित रजक, कमलेश सेन, राकेश रजक, सनत सेन, देवसेन दीपाशुं सेन, हेमराज पटेल, सुरेंद्र चौधरी, मनोज नामदेव आदि ग्रामीणों से उपस्थिति का आग्रह किया है।

### युनिवर्सिटी रसायन एवं फार्मेसी विभाग में कैम्पस प्लेसमेंट

जबलपुर। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के रसायन एवं फार्मेसी विभाग में कैम्पस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया। आरडीयू कुलपति प्रो. कपिलदेव मिश्रा की अध्यक्षता एवं विभागाध्यक्ष प्रो. आर.पी. मिश्रा की मौजूदगी में आयोजित कैम्पस प्लेसमेंट में बीएमडब्ल्यू कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा विद्यार्थियों से साक्षात्कार व अन्य प्रक्रिया के जरिए चयन किया गया। कैम्पस प्लेसमेंट में रसायन एवं फार्मेसी विभाग के 5 विद्यार्थियों का चयन किया गया।

### पोषण आहार माह पर पौष्टिक व्यंजन प्रदर्शनी

**जबलपुर।** एकीकृत बाल विकास परियोजना क्रमांक 04 के द्वारा शहरी पोषण आहार माह पर जनप्रतिनिधि सम्मेलन का



स्कल में किया गया। कार्यक्रम में सहायक संचालक पुनीत मरवाह के द्वारा पौष्टिक व्यंजन बनाकर एवं प्रदर्शनी के माध्यम से मांग एवं बच्चों को पोषण आहार संबंधी जानकारी दी गई। जिन प्रतिभागियों के पोषणयक्त व्यंजन बनाने की कला सिखाई, इस दौरान यह जानकारी भी दी गई की बच्चों और मां को कब और क्या खाना चाहिए, जिससे मां और बच्चा स्वस्थ्य व निरोगी रहे। बच्चों में पोषण आहार की कमी के कारण बीमारियां न हो। अतिथियों द्वारा बताया गया की घर के वातावरण को हमेशा साफ-स्वच्छ रखना चाहिए, खाना खाने की पहल बच्चों को साफ पानी से हाथ धोना चाहिए, अपने आसपास गंदगी नहीं रखना चाहिए आदि की जानकारी दी गई। इस मौके पर सहायक संचालक पुनीत मरवाह, दीपमाला सोनकर, जतिन राय, सरिता कनौजिया, पुष्पलता पाठक, नीता पटेल, आरती पाण्डे, रितु ठाकुर आदि मौजूद रहे।

### अनमोल सृजन द्वारा शिक्षकों का सम्मान

सिहोरा गत दिवस अनमोल सृजन एवं नेशनल मीडिया फाऊन्डेशन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में छिंदवाड़ा में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह के जबलपुर जिले से मनीष जैन एवं राजेश कुमार नेमा विकासखण्ड सिहोरा एवं कटनी जिले से राकेश पाठक विकासखण्ड ढीमरखेड़ा सुरेन्द्र तिवारी विकासखण्ड बहोरीबंद को सम्मानित किया गया। नगर के शिक्षकों के सम्मानित होने पर भविष्य में समाज हित शिक्षा एवं मानव सेवा में उल्लेखनीय योगदान देते हुये सतत कार्य करने की कामना के साथ पी.सी. कुटार चंदा पाण्डे, सुनीता साह, पीयूषं तिवारी, गोपाल पाठक, प्रेम नारायण तिवारी, आशीष तिवारी, जय प्रकाश तिवारी, अश्वनी पटेल, कोमल शुक्ला, अर्जुन गर्ग, आर.पी. तन्तुवाय, आर.पी. उपाध्याय, रहीम खान, अशोक गौतम, आशीष पहारिया, टी.ए. खान, प्रीति गुप्ता ने हर्ष व्यक्त किया है।

### आज निकलेगा मुहर्रम जुलूस

सिहोरा- शहादत के पर्व मुहर्रम की गुरूवार को शहादत की रात नगर के मस्लिम वाहल्य क्षेत्र में सर्वरिया निकाली गई आजा दिन शक्रवार को सिहोरा एवं उपनगर खितौला में मोहर्रम का योमे आशरा बडे ही अँदब एवं एहतमाम के साथ निकाला जायेगा जामा मजस्दि सिहोरा में एकत्र ताजिये बाद नबाज जौहर सरावगी मोहला पहुँचेगें तत्पश्चात अखाडा के नोजवानो द्वारा प्रदर्शन के उपरांत जलूस प्रांरभ होगा जो कालभैरव चौक, झण्डा बाजार, कटरा मोहला होते हुये कर्वला में समाप्त होगा। इसी प्रकार उपनगर खितौला में भी मोहर्रम जलूस अलीनगर से प्रांरभ होकर खितौला बाजार जामा मजस्दि बस स्टैण्ड, रेल्वे फाटक, बरा मोहला होते हुये हिरन नदी खितौला। में सम्पन्न होगा। जगह जगह लंगरे आम नगर की लंगर कमेटियों द्वारा जगह जगह लंगरे आम का छवील वितरण का ऐहतेमाम किया गया है।

### चँहुओर गणेश उत्सव की धुम

सिहोरा- नगर में गणेशोत्सव की धूम मची है। आकर्षक पंडालों मं जगमग रोशनी के बीच विराजे भगवान श्री गणेश की मनोहरी प्रतिमाओं के दर्शन करने सड़को पर जन सैलाव उमड़ रहा है। वही मंदिरो में भी विशेष अनुष्ठान आयोजित किये जा रह है। ज्वालामुखी बरझा रोड गणेश उत्सव समिति द्वारा गणेश उत्सव पर्व पर प्रतिदिन भजन कींतन महाआरती के आयोजन के चलने धर्मभय वातावरण निर्मित हो रहा है। वहीं कटरा मोहल्ला सिहोरा में विराजे कटारा के राजा। के दरवार में गत दिवस महाआरती एवं भण्डारा आकर्षण का केन्द्र बनी रही। जगह जगह सुंदर झाकियों में सजे पंडालों में भगवान श्री गणेश की प्रतिभाओं के दर्शन करने देर रात तक भक्तजनो का भीड सड़को पर उमड़ रही है।

### चित्रकार राजेन्द्र कामले की चित्रप्रदर्शनी मुंबई में

जबलपुर। बीते कई दशकों से रंगों की दुनिया के अद्भुत चित्रकार शहर के राजेन्द्र कामले की नवीनतम कलाकृतियां एक बार फिर से लोगों से रूबरू होने जा रही हैं। मुंबई की प्रतिष्ठित जहांगीर आर्ट गैलरी में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक श्री कामले की कला के अभिनव रंग देखने को मिलेंगे। गौरतलब है कि जबलपुर का ये कलाकार 1988, 1996 और साल 2003 में भी अपनी कूची का कमाल दिली, मुंबई, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर की कला वीथिकाओं में दिखा चुका है। मुंबई की ताज आर्ट गैलरी भी श्री कामले की कला साधना की गवाह रह चुकी है। देश-विदेश के न जाने कितने कला पारखी श्री कामले की तारीफ करते नहीं थकते। श्री कामले का बचपन जबलपुर में बीता है। वे यहीं पले-बढे हैं।

### जबलपुर हेण्डबाल प्रतियोगिता आयोजित

जबलपुर। गुरू तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय केधन बाबा दीप सिंह खेल परिसर मं शासकीय उ मा शाला अधारताल के संयोजन में किया गया। जिसमें मडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा एवं जबलपुर के 19 एवं 14 वर्ष के बालक-बालिका के लगभग 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। दो दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारभ प्राचार्य डॉ संजय परिहार, विनोद टाकुर ने किया।

### अवेध उत्खनन के चलते नदी में जगह जगह हो गई गहरी खाई

# कार्यवाही की मांग को लेकर सरपंच ने सौंपा ज्ञापन

सिहोरा 🔳 राज न्यूज नेटवर्क

जनपद पंचायत मझौली अंतर्गत ग्राम पंचायत लखनपुर की सरपंच अनीता दाहिया सहित ग्रामवासियों ने सिहोरा अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर रेत माफियों पर कार्यवाही की मांग की है ग्रामीणों ने बताया की ग्राम से निकलने वाली हिरन नदी न केवल ग्रामीणो की आस्था का केन्द्र बिन्दु है बरन् ग्राम वासियों के जीवन यापन का प्रमुख जल स्त्रोत है जिसका उपयोग ग्राम वासी पेय जल एवं निस्तार हेतु करते है किन्तु भूमाफियों द्वारा किये जा रहे

अन्धाधुंध अवेध उत्खनन के चलते नदी में जगह जगह गहरी खाई निर्मित हो गई है। जिससे हमेशा दर्घटना का अंदेशाा बना रहता है। बताया जाता है कि रेत माफियों ने घाट के सामने बड़े बड़े गड्डे कर दिये है। जिससे ग्रामवासियों को घाट तक जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। ग्राम के प्रदीप पटेल, अमित पटेल, कृष्ण कुमार पटेल, बृजेश तिवारी, प्रमोद पटेल, सतीश पटेल, बराती मूरत लाल सहित अनेक लोगो ने रेत माफियों पर कार्यवाही की मांग करते हुये नदी के संरक्षण की मांग की है।

### महीनो से बंद पड़ी है स्ट्रीट लाइट

सिहोरा- नगर के सघन बसाहट वाले इलाकों की स्ट्रीट लाइट महिनो से बंद पड़ी है। वार्ड के वाशिन्दों ने बताया क्षेत्र के मुख्य बस स्टैण्ड ज्वालामुखी चौराहा, दालिमल तिराहा, के अलावा वनपुरिया जी के मकान सरस्वती शिशू मंदिर मार्ग जेल रोड की स्ट्रीट लाइट महिनों से बंद पड़ी है। क्षेत्रवासियों द्वारा प्रकाश व्यवस्था दुरूस्त करने अनेको बार नगर पालिका से सम्पर्क किया किन्तु लाइन मेन उपलब्ध न होने का वहाना बनाकर नगर की पालक संस्था अपने कर्त्तव्यों की इती श्री कर लेती है। नगर पालिका की कार्य प्रणाली के चलते नगर की स्थिति ग्राम पंचायतों से भी बद्तर हो गई है। उल्लेखनीय है गणेश उत्सव पर्व के चलते धर्मप्रेमी रात्री में गणेश प्रतिमाओं के दर्शन हेतु उमड़ रहे है। ऐसे में नपा द्वारा प्रकाश व्यवस्था दुरूस्त न कराने से जन आक्रोश पनप रहा है।

# मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी के विरुद्ध एक नई उम्मीद है स्टेम सेल थेरेपी

### निःशुल्क शिविर, प्रेसवार्ता के दौरान दी जानकारी

जबलपुर 🔳 राज न्यूज नेटवर्क

नवी मुंबई के नेरुल स्थित न्यूरोजेन ब्रेन ऐंड स्पाइन इंस्टीट्यूट जो भारत का अग्रणी स्टेम सेल थेरेपी सह पुनर्वास केंद्र है, स्टेम सेल थेरेपी और रीहैबिलेशन के माध्यम से एक लाइलाज दुर्बल करनेवाली बीमारी मस्क्युलर डिस्टॉफी. पेशी अपविकास से पीडित मरीजों के लिए आशा के एक नये आधार की पेशकश करता है। न्यूरोजेन बीएसआई की स्थापना सुरक्षित और प्रभावी तरीके से स्टेम सेल थेरेपी के जरिए असाध्य न्यरोलॉजिकल विकारों से पीडित मरीजों की मदद के लिए उनके लक्षण और शारीरिक विकलांगता से राहत प्रदान करने के लिए की गई है। न्यूरोजेन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट न्यरोलॉजिकल विकार मसलन, ऑटिम्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, ब्रेन स्ट्रोक, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, सिर

स्वच्छता को लेकर निकाली जन जागरूकता रैली

में चोट, सेरेबेलर एटाक्सिया, डिमेंशिया, मोटर न्यूरॉन रोग, मल्टीपल स्केलेरॉसिस और न्यूरोसाइकिएट्रिक विकार के लिए स्टेम सेल थेरेपी और समग्र पुनर्वास

प्रदान करता है। अब तक इस संस्थान ने 60 से अधिक देशों के 6000 मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार किया है। इस संबंध की जानकारी प्रेसवार्ता के दौरान दी गई। वहीं इस संबंध में डॉ रिचा बनसोड ने बताया की न्यूरोजेन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में रहने वाले न्यूरोलॉजिकल विकारों से पीड़ित सभी मरीजों के लिए आगामी 21 अक्टूबर को भोपाल में एक निःशुल्क कार्यशाला और ओपीडी परामर्श शिविर का आयोजन कर रहा है। ऑटिम्म, सेरेब्रल पाल्सी इत्यादि विकारों से पीडित मरीजों को सिर्फपरामर्श के उद्देश्य से मुंबई तक की यात्रा करना काफी तकलीफदेह होता है।

# युवा मोचो के मंडलों की

जबलपुर (आर एनएन)। भारतीय जनता यवा मोर्चा जबलपर महानगर द्वारा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे की उपस्थिति में एवं युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष रंजीत पटैल के नेतृत्व में मंडल स्तर की कार्यशालाओं का समापन 20 सितम्बर को हुआ। मंडल की कार्यशालाओं में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनावों के लेकर प्रशिक्षित किया गया। 3 दिन चली कार्यशालाओं के अंतिम दिन विवेकानंद मंडल, कुशाभाऊ ठाकरे, चंद्रशेखर आजाद मंडल, छ्त्रपति शिवाजी मंडल, भगत सिंह मंडल, नर्मदा मंडल एवं तिलक मंडल में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत प्रत्येक बूथ की स्पेशल 11 की टीम को प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न कार्यशालाओं में मुख्य वक्ता के रूप में राज्यमंत्री शरद जैन, विधायक अंचल सोनकर, अशोक रोहाणी, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे, एस.के.मुद्दीन, धीरज पटेरिया, डॉ. जितेन्द्र जामदार एवं राजेश मिश्रा ने युवा मोर्चा के मंडलों के बूथ स्तर



तक के कार्यकर्ताओं को संबोधित

इस अवसर पर मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने कहा कि युवा मोर्चा मध्यप्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव के लिये पूरी तरह तैयार है और इन कार्यशालाओं से बुथ स्तर तक का कार्यकर्ता प्रशिक्षित हुआ है। जिसका लाभ आगामी चनाव में मिलेगा।

युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष रंजीत पटैल ने कहा कि इन कार्यशालाओ के माध्यम से बूथ की जो स्पेशल 11 टीम एवं बूथ समिति तैयार हुई है उन्हें वक्ताओं द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। एवं युवा मोर्चा जबलपुर बुथ तक

.. पर्यूषण पर्व का छटा दिवस

जबलपुर। नगर में इन दिनों में दिगंबर जैन मंदिरों में धर्ममय प्रवचन का दौर चल

रहा है, इसमें श्रद्धालुओं को किस तरह उत्तम तप और धर्मपरायण मार्ग पर चलना

है इसे बेहतर रूप में समझाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिगंबर जैन मंदिर मदर

टेरेसा नगर में जय कुमार जैन शास्त्री ने प्रवचन में बताया कि जिस प्रकार बिना

बर्तन को गर्म किये दूध नहीं गर्म किया जा सकता है उसी प्रकार बिना शरीर को

तपाये आत्मा को कुंदन नहीं बनाया जा सकता है। इसलिये जीव को स्वयं का

कल्याण करना है तो शरीर को तपाना जरूरी है। इस मौके पर आचार्य शिव

सागर ग्रप ने प्रथम स्थान हासिल किया, जिसमें ललिता जैन, तनु जैन, ऋचा जैन,

तरंग जैन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस दौरान संतोष जैन, नरेश जेन, रमेश,

महावीर, राहुल, नमन, सुधीर, सुमित, प्रांजल, लकी, पलवी, निधि, राशि, कविता,

श्री पार्श्व नाथ लार्डगंज मंदिर

इसी तरह श्री पार्श्व नाथ लार्डगंज स्वर्ण जैन मंदिर में विराजित आकाश शास्त्री ने

उत्तम तप की व्याख्या की, आत्मा को परमात्मा के करीब लाने के लिये तप के

माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है, तप से आत्म बल बढ़ता है, केवल जैन नहीं

बल्कि प्रत्ये जाति क समुदाय एवं धर्म के लोगों के लिये तप करना आवश्यक है,

गांधी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर रखना

चाहिये. इससे शरीर और आत्मा दोनो स्वस्थ्य रहते हैं. तप का विपरीत होता है.

पत अर्थात अगर जीवन में तप न हो तो पतन तय है। इस मोके पर बडी संख्या मे

दीपचंद गुप्ता, निक्की रजक आदि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। एसपी को सौपा ज्ञापन

जाकर मजबूत हुआ है। जबलपुर

महानगर आगामी चुनाव में सभी

विधानसभा सीटें जीतकर इस बात

को साबित करने तैयार है। इस

अवसर पर अमन रोहरा, भूपेन्द्र

यादव, किशन ललवानी, दीपक

सराफ, अंकित फांसिस, अनुराग

दाहिया, जितेन्द्र मलिक, प्रवीण

त्रिपाठी, अंकित कोष्टा, मयंक मिश्रा,

गोपाल गुप्ता, संतोष रैकवार, टीट्र

सोनकर, रौनक अग्रवाल, चंद्रशेखर

पटैल, श्रीकांत वर्मा कुक्की, आयुष

चौबे, कमलसिंह, कमलजीत

भटीजा, कौशल सूरी, प्रतीक पांडे,

महासभा ने एसपी को ज्ञापन दिया, इसमें ओएफके कर्मी की शिकायत की गई जिसमें आरक्षित वर्ग के जनों में दहशत फैलाने की बात कही गई है। इस संबंध मे मुन्ना लाल झारिया, प्रहलाद चौधरी, अरविंद चोधरी, सेठ बालिकशन चौधरी, राज चौधरी, दिलीप चंद्र चोधरी, राजक पूर, संदीप आदि शामिल थे।

# सिविल अस्पताल अच्छे दिन

राजस्व आशीष पाण्डे की उपस्थिति में आयोजित रोगी कल्याण समिति की बैठक में सिविल अस्पताल के जिर्णोद्धार हेतु अनेक प्रस्तावों पर विचार विर्मश के उपरांत स्वीकृती प्रदान की गई। बैठक में अस्पताल परिसर के रिनोलेश एवं सुंदरीकरण के लिये आवश्यक कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा।

वहीं विधायक कार्यालय से प्राप्त अस्पताल के अच्छे दिन आने वाले है।

### बनाओं, बापू का एक ही सपना, स्वच्छ सुन्दर हो भारत अपना, स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों और उजयाला फैलाएंगे आदि ऐसे नारों से गुंजायमान स्वच्छता रैली का आयोजन रानी दर्गावती लेडी एल्गिन चिकित्सालय जबलपुर में किया गया। शासन के स्वच्छता अभियान एवं पखवाड़ा के अंतर्गत निरंतर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा

है, ताकि समाज के हर वर्ग को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। इन गतिविधियों में नुक्कड़ नाटक, रंगोली, पोस्टर, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। स्वच्छता रैली में शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय, प्रेमवती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, क्षत्रिय महासभा, चिकित्सालय के डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हुए। यह रैली मालगोदाम चौक, रेलवे स्टेशन होकर विभिन्न नारों के साथ जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर अधीक्षक डॉ निशा साहू, शैलेन्द्र सिंह, पुष्पराज सिंह, डॉ अलका अग्रवाल, डॉ सोनल रिछारिया, डॉ रश्मि कुरारिया, डॉ भावना मिश्रा, डॉ संजय मिश्रा, ॲर्चना गायकवाड आदि मौजूद रहे।

# सिहोरा के शीघ्र आयेगें

जबलपुर। धरती माता करें पुकार, आसपास

का करो सुधार, स्वच्छता अपनाओं घर को सुन्दर

सिहोरा- सिहोरा अनुविभागीय अधिकारी

जानकारी के अनुसार लम्बे समय से चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे अस्पताल को पटरी पर लाने सतत प्रयाशरत विधायक नंदनी मरावी के प्रयाशो से शासन ने अतिरिक्त चिकित्सकों की पद स्थापना की है। अनिर्वाय सेवा के बंध पत्र के अनुक्रम में प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय से वर्ष में स्राकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले स्राकोत्तर चिकित्सक डॉ. अंशिता गोयल, डॉ. पंकज पाटिल, डॉ. स्मृति गुप्ता, डॉ. अजय शर्मा, डॉ. नेहा कुमार, डॉ. सायवान एवं डॉ. कृष्णा गुप्ता की सिविल अस्पताल में पदस्थापना की है। प्रशासनिक एवं राजनैतिक प्रयाशो से सिविल अस्पताल में हो रहे काया काल्पो से लगता है कि शीघ्र ही सिहोरा

### साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ''मिनी रत्न कम्पनी'

जन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि खैरहा भूमिगत खदान की कोयला उत्पादन क्षमता 0.585 मिलियन टन प्रतिवर्ष है एवं यह 472.872 हेक्टर माईनिंग लीज एरिया मे संचालित है । उक्त खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक जे-11015/72/2004-। ए-।। (एम) दिनांक 28.07.2005 को जारी की गई है। उपरोक्त खदान से यदि किसी व्यक्ति/संस्था को पर्यावरण संबंधित सुझाव या शिकायत है तो इस सुचना के प्रकाशन तिथि के 7 दिवस के अंदर अपना मुझाव या शिकायत महाप्रबन्धक, सोहागपुर क्षेत्र, पोस्ट धनपुरी, जिला–शहडोल (म.प्र. के कार्यालय में प्रेशित कर सकते हैं । यह जन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जारी की जा रही है ।

महाप्रबन्धक

S-88844/1/18

एस.ई.सी.एल. सोहागपुर क्षेत्र, पोस्ट – धनपुरी जिला-शहडोल, मध्य प्रदेश-484 114



एनएचडीसी लिमिटेड (एन एच पी सी लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश शासन का संयुक्त उद्यम) निगम पहचान संख्या (CIN): U31200MP2000GOI14337 इंदिरा सागर पॉवर स्टेशन, एनएचडीसी कार्यालय परिसर, नर्मदा नगर, जिला–खण्डवा–450119 (म.प्र.)

एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश शासन का संयुक्त उद्यम) में निम्न कार्य हेतु ई-

निविदा दो लिफाफा पद्वति के आधार पर निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है :-कार्य का नाम जमा करने की का समय एवं का मुल्य अवधि दिनांक इंदिरा सागर पॉवर स्टेशन, नर्मदानगर, जिला 63,000/ 590/-21-09-2018 16-10-2018 खण्डवा (म.प्र.) में विभिन्न प्रकार के Fire | अप. 04 :30 बजे 15-10-2018 Extinguishers का प्रदाय। अप. 04:00 नि.आ.सू.क. एनएचडीसी/2/सी/1172/18/ 2368-2382 दिनांक 18.09.2018

एनएचडीसी के पास बिना किसी कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। विशेष:- निविदा से संबंधित योग्यता एवं अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए एनएचडीसी की वेबसाइट http://www.nhdcindia.com या सीपीपी पोर्टल http://www.eprocure.gov.in देखें या अद्योहस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें। वरिष्ठ प्रबंधक (पी एण्ड सी), प्रापण विभाग, फोन नं. 07323–284385, 284086

विद्युत से समृद्धि



साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ''मिनी रत्न कम्पनी<sup>''</sup> (कोल इंडिया लिमिटेड का एक उपक्रम)

डिस्ट्रिक भंडार से सामग्री का परिवहन करना, वेस्ट जेकेडी कालरी के भूमिगत खदान सीम 4ए डेव डिस्ट्रिक पी। हेतु। निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि: 10.09.2018 प्रातः 10 बजे, निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: दिनांक 01.10.2018 सायं 05 बजे तक, निविदा खुलने की तिथि एवं समय : दिनांक 03.10.2018 प्रातः 10 बजे.

एसओ(एम).हसदेव क्षेत्र 3.निविदा क्रं.— एजीएम/एचएसडी/एसओ(एम)/ई—टेण्डर/18—19/169 एवं 86 एल ई) के लिए एल.एच.डी.लोडिंग पांइट से कचरा/पड़ा कोयला को हटाने एवं दिनांक 10.09.2018. निविदा आई.डी—2018 एसईसीएल 113869 1. कार्य का स्थान सफाई कार्य हेतु। निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रारंग तिथि : 10.09.2018 प्रातः 10 हिनांक 10.09.2018, निविदा आई.डी-2018 एसईसीएल 113869 1. कार्य का स्थान : सफाई कार्य हेतु। निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रारंग तिथि : 10.09.2018 प्रातः 10 हसदेव क्षेत्र, अनुमानित मूल्य : 6,76,969 रू., कार्य का विवरण : कुरजा भूमिगत खदान के बजे, निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : दिनांक 01.10.2018 सायं 05 बजे सीम ए में 16 एलएस एवं 9 एलएस डिप पैनल में प्रत्येक 100 मी. विकास में मटेरियल यार्ड, तक, निविदा खुलने की तिथि एवं समय : दिनांक 03.10.2018 प्रातः 10 बजे. अग्नी शमन, प्राथमिक उपचार स्टेशन, माइनर स्टेशन, रिजर्व स्टेशन का निर्माण। निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रारंम तिथिः 10.09.2018 प्रातः 10 बजे, निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : दिनांक 01.10.2018 साय 05 बजे तक, निविदा खुलने की तिथि एवं सम्य : दिनांक 03.10.2018 प्रातः 10 बजे. एसओ(एम),हसदेव क्षेत्र 4.निविदा क्रं.- एजीएम/एचएसडी/एसओ(एम)/ई-टेण्डर/18-19/170

दिनांक 10.09.2018, निविदा आई.डी-2018\_एसईसीएल\_113873\_1. कार्य का स्थान हसदेव क्षेत्र, अनुमानित मूल्य : 8,27,318 रू., कार्य का विवरण : वेस्ट जेकेडी कालरी में छत का एवं छत के बगल का सपोर्ट रूफ वोल्टिंग पत्थर में साथ ही छत का छत के बगल का एक पाल्टग स सपाट क साथ ड्रिटिंग इन स्टोन में हाथ से हिलिंग एवं मिशन के द्वारा उपर की समी 60 एन/1 डब्ल्यू (5 ए.सीम) से नीचे की समी 62 एन. 1 डब्ल्यू (4 ए सीम) तक स्टोन ट्रिफ्ट संचालन को जोड़ना। निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रारंस तिथि: 10.09. 2018 प्रात: 10 बजे, निविदा खुलने की तिथि एवं समय: दिनांक 29.09.2018 प्रात: 10 स्टोन ट्रिफ्ट संचालन को जोड़ना। निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रारंस तिथि: 10.09. 2018 प्रात: 10 बजे, निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रारंस तिथि: 10.09. 2018 प्रात: 10 बजे, निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अतिथ (देनांक 01.10.2018 सायं 05 बजे तक, निविदा खुलने की तिथि एवं समय: दिनांक 03.10.2018 प्रात: 10

हसदव क्षत्र, अनुमानित मूल्य : 16,24,871 रू., कार्य का विवरण : हसदेव क्षेत्र के बहेराबांघ वा 10.09.2018, 06 बजे, निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अतिन विधि : दिनांक 03. विदा क्षत्र की तिथि : दिनांक 04.10.2018 साय 03.30 बजे तक, निविदा खुलने की तिथि एव समय : दिनांक 04.10.2018 सूमिगत खदान में की. टॉप सीम 80 डी एवं 66 एल के समानांतर 2 नग डबल ड्रम ड्रइव हेड प्रातः 06 बजे. डिप्टी जीएम(एमएमए)/एसओ(एमएम) बैकुउपुर क्षेत्र वेल्ट कनकेयर की स्थापना हेतु। बी यूजी एम में मुख्य एसीबी कपड़ एसीबी आरमर्ड केवल वेस स्थापना हेतु। बी यूजी एम में मुख्य एसीबी कपड़ एसीबी आरमर्ड केवल वेस स्थापना हेतु। बी यूजी एम में मुख्य एसीबी कपड़ एसीबी आरमर्ड केवल वेस स्थापना हेतु। बी यूजी एम पेस मुख्य एसीबी कपड़ एसीबी आरमर्ड केवल वेस स्थापना हेतु। बी यूजी एम पेस मुख्य एसीबी कपड़ एसीबी आरमर्ड केवल वेस स्थापना हेतु। बी यूजी एम पेस मुख्य एसीबी कपड़ एसीबी आरमर्ड केवल वेस स्थापना हेतु। बी यूजी एम सेमुक्य स्थापना हेतु। बी यूजी एम सेमुक्य स्थापना हेतु। बीविदा अर्थ है स्थापना हेतु। बीविदा अर्थ है स्थापना हेतु। किया विवर्ध अर्थ है स्थापना है सेमुक्य स्थापना है सेमुक्य स्थापना है सेमुक्य सेमुक्य स्थापना है सेमुक्य सेमु एवं कचरा हटाने हेतु। निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्राप्त तिथि: 10.09.2018 प्रातः 10 बजे, निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: दिनांक 01.10.2018 सायं 05 बजे तक, निविदा खुलने की तिथि एवं समय: दिनांक 03.10.2018 प्रातः 10 बजे.

6.निविदा क्रं. जीएम/एचएसडी/सी/ई-टेण्डर/18-19/96 दिनांक 10. नीट- विवरण एवं निविदा जमा करने के लिये कृपया www. 09.2018, निविदा आई.डी-2018\_एसईसीएल\_113930\_1. कार्य का स्थान : हसदेव क्षेत्र, & www.eprocure.gov.in,www.secl.gov.in वेबसाईट देखें। अनुमानित मूल्य : 48,63,805 रू., कार्य का विवरण : हसदेव क्षेत्र के बिजुरी उपक्षेत्र में उपयोज्ताओं की रातिस्टि:हमारा लक्ष्य

डीं / एस एम.क्यू. (लाइफ इम्परूबमेन्ट स्कीम) के अधीन मकान नं. एम / 698 से एम / 753 (4x4) के लिए मूलमूत सुख सुविधाओं सहित मकानो की विशेष मरम्मत का कार्य। निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि: 12.09.2018 एसओ(सिविल),हसदेव क्षेत्र र्ड<u>-निविदा सूचना</u> 7.निविदा क्र.- जीएम/एचएसडी/सी/ई-टेण्डर/18-19/97 दिनां क 1.निविदा क्र.- एजीएम/एचएसडी/एसओ(एम)/ई-टेण्डर/18-19/167 10.09.2018, निविदा आई.डी-2018\_एसईमीएल\_113911\_1. कार्य का स्थान : हसदेव 1.निविदा क्रं.— एजीएम/एचएसडी/एसडी(एम)/ई—टेण्डर/18—19/167
दिनांक 10.09.2018, निविदा आई.डी—2018 एसईसीएल 113864 1. कार्य का स्थान : क्षेत्र, अनुमानित मूल्य : 45,81,904 रू., कार्य का विवरण : हसदेव क्षेत्र के बहेराबांध में डी/एस. एम. क्यू. (लाईफ इम्परूवमेन्ट स्कीम) के अधीन मकान नं. एम/802 से एम भूमिगत खदान में पाइपलाइन मेन्टेनेंस हेतु सहायता की आवश्यकता। निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि : 10.09.2018 प्रातः 10 बजे, निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अतिम करने की प्रारंभ तिथि : 10.09.2018 प्रातः 10 बजे, निविदा खुलने की तिथि एवं समय : दिनांक विदा कां— जीएम/मट/सर्वें/ई—टेण्डर/2018—19/59 दिनांक 10.03.10.2018 प्रातः 10 बजे.

एसओ(एम),इसदेव क्षेत्र अनुमानित मूल्य : 6,69,790 रू., कार्य का विवरण : हसदेव क्षेत्र के महान ॥ ओ स्थान : मटगांव क्षेत्र के महान ॥ ओ स्थान : मटगांव का स्थ

9.निविदा क्रं.— एजीएम/एचएसडी/एसओ(एम)/ई-टेण्डर/18-19/166 दिनांक 10.09.2018, निविदा आई.डी-2018 एसईसीएल 13850 1. कार्य का स्थान इसदेव क्षेत्र, अनुमानित मूल्य : 15,57,269 रू., कार्य का विवरण : हसदेव क्षेत्र के बहेराबांघ खी ट्राप सीम में सी॥ वृकिंग डिस्ट्रिक्ट (61 एल डब्ल्यू, 66 एल डब्ल्यू, 31 आर

10.निविदा क्र.— एसईसीएल/जीएम/चिर./ईएम/ई—टेण्डर/128 दिनांक 07.09.2018, निविदा आई.डी—2018\_एसईसीएल\_113658\_1. कार्य का स्थान: चिरमिरी क्षेत्र, अनुमानित मूल्य: 17,53,600 रू., कार्य का विवरण: चिरमिरी क्षेत्र के लिए 2 नग डीजल जीप महिन्द्रा बोलेरो, महिन्द्रा, स्कार्पियो / महिन्द्रा जायलो या इसके समकक्ष ब्राइवर के साथ में वाहन 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा। निविदा खुलने की निर्धारित तिथि से 03 वर्ष की अवधी (1096 दिन) के लिए पेट्रोलिंग एवं अन्य सुरक्षा कर्तव्यों के लिए

18—19/103 विनाक 09.09.2018, निविदा आई.डी—2018 एसईसीएल\_113906\_1. कार्य का स्थान: बैकुठपुर क्षेत्र, अनुमानित मूल्य: 9.18,707 क कार्य का विवरण: विमिन्न प्रकार के हायड़ोलिक होज की आपूर्ति बाबत्। निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रारंभ विनाक 10.09.2018, निविदा आई.डी—2018 एसईसीएल\_113876\_1. कार्य का स्थान: विविध: 10.09.2018, निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रारंभ विनाक 10.09.2018, निविदा आई.डी—2018 एसईसीएल\_113876\_1. कार्य का स्थान: विविध: 10.09.2018, निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अतिम तिथि: दिनांक 03. इसदेव क्षेत्र, अनुमानित मूल्य: 16,24,871 क., कार्य का विवरण: हसदेव क्षेत्र के बहेराबांच 10.2018 सायं 03.30 बजे तक, निविदा खुलने की तिथि एव समय: दिनांक 04.10.2019 सूमियत खदान में दी. टॉप सीम 80 डी एवं 66 एल के स्थानांवर २ उप

कार्य का स्थान : बैकुण्ठपुर क्षेत्र, अनुमानित मूल्य : 20,69,720 रू., कार्य का विवरण कोयला सेम्पलिंग इक्यूपमेन्ट की आपूर्ति हेतु । निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : दिनांक 27.09.2018, 3.30 बजे तक, निविदा खुलने की तिथि एवं सुमय : दिनांक एसओ(एम),हसदेव क्षेत्र 28.09.2018, 04 बजे एसओ (एमएम),बैकुठपुर क्षेत्र

S-88826/3/18

उपभोक्ताओं की संतुष्टि : हमारा लक्ष्य

### कार्यालय कार्यपालन यंत्री

राकेश समेत जैन समाज के श्रद्धालु शामिल रहे।

लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी खण्ड मण्डला (म.प्र.)

निविदा क्रं. 357/ 2018-19 / लेखा/ लो.स्वा.यॉ./ 2018 निविदा आमंत्रण सूचना

जेन धर्मलंबी मोजद थे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नानुसार ऑनलाईन महरबंद ( Digitaly Sealed ) http://www.mpeproc.gov.in पर निम्नलिखित निविदाएं आमंत्रित किये जाते हैं।

(1) ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि - 24/09/2018 समय 17:30 बजे तक

(2) ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - 25/09/2018 समय 17:30 बजे तक (3) अमानत राशि (मूल एफ.डी.आर) एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि -

26/09/2018 17:30 बजे तक (4) निविदाकारों द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत अभिलेख (लिफाफा -ए ) खोलने की तिथि एवं समय -दिनांक 27/09/2018 समय 10:30 बजे के प्रशात ।

(5)	वित्तीय		इज बिड ) लिफाफा – सी खोलने की तिथि एवं	समय - दिन	ांक 28/09	/2018 सम	य 16:00
क्र.	निविदा	ई-	कार्य का नाम	अनुमानित	धरोहर	निविदा	समयावधि

क्र.	निविदा क्रमांक	ई- टेण्डर नं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू. लाख में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	357/ 2018- 19	33848	मण्डला जिले के विकासखण्ड मण्डला के ग्राम कटरा के मत्स्य केंपस में पेयजल व्यवस्था हेतु पाईप लाईन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य।	2.10	4200.00	2000.00	01 माह वर्षाकाल छोड़कर

निविदा प्रपत्र उपरोक्त वेबसाईट पर केश कार्ड, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग एकाउण्ट के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान पर क्रय किया जा सकता है। विस्तृत निविदा एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाईट http://mpeproc.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा से सम्बंधित कोई भी संशोधन ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर ही प्रदर्शित कराया जावेगा। अमानत राशि (मूल एफ.डी.आर.), शपथ - पत्र एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए, विलम्ब से प्राप्त होने पर संबंधित निविदाकार की निविदा अमान्य कर दी जावेगी। कार्यपालन यंत्री

G-19124/18 महिला हैल्प लाईन 1090/MPeCOP मोबाईल एप/ डायल 100

मण्डला (म.प्र.)

लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी खण्ड

### SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED

CIN: U10102CT1985GOI003161 SEEPAT ROAD, BILASPUR (CG)

MINUTES OF THE 264<sup>TH</sup> MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED HELD ON 25.11.2017 (SATURDAY) AT NEW DELHI

Ref. No. SECL/BSP/CAD/264 BM/17-18/ 423

Date: 30.11.2017

### ITEM NO.264:4:4

Sub: Approval of Mining Plan (excluding forest land) for Khairaha UG Mine to obtain enhanced Environmental Clearance from MoEF&CC for enhancement of coal production from 0.585 MTY to 0.819 MTY.

The Board after detailed deliberation and upon the apprisal of GM(P&P)-HOD agreed with the subject Mining Plan (excluding forest land) for Khairaha UG Mine for obtaining enhanced Environmental Clearance (EC) for 0.819 MTY from MoEF & CC under clause 7(ii) of EIA notification 2006 in accordance with the Office Memorandum reference No.J-11015/224/2015-IA.II dated 15.09.2017 issued by MoEF & CC for enhancement of the coal production from 0.585 MTY to 0.819 MTY, by deploying Continuous Miner, as detailed and brought out in the agenda.

COMPANY SECRETARY

### Distribution for action:

- 1. GM(P&P)-HOD, SECL
- 2. GM(F)-HOD, SECL

Cc to:

All Functional Directors, SECL

# Minutes of Planning Committee Meeting held on 09/08/2012 Ref. SECL/BSP/P&P/2012/701, dated 08/08/2012

A meeting was held to discuss the Mine Closure Plans of 35 Mines of different areas of SECL in the conference hall of DT(O), SECL, Bilaspur on <u>09<sup>th</sup> Aug, 2012</u>. This meeting was presided by the Director (Tech: - O/P&P), <u>Shri P.K. Roy Chaudhry</u> and was attended by representatives of different departments of SECL, and representatives of CMPDIL, RI –V. The List of participants is enclosed herewith. The meeting was organized subsequent to the Planning Committee meeting held on 28 March 2012 to discuss changes incorporated in Mine Closure Plans of 35 Mines in view of revised guidelines issued by MoC, GOI (Vide No. 55011-01-2009-CPAM Dated 25 Apr. 2012).

In this meeting the matter of preparation of Mine Closure Plan for different mines of SECL in the basis of Project Land Area and thereby calculation of Mine Closure Cost have been discussed and deliberated in length and subsequently forwarded for Technical Sub-Committee Meeting.

In case of Mines having common land area, the mine closure cost for the common land area will be shared equally by the concerned mines.

In the end, the Project & Planning Department, SECL, expressed vote of thanks to all the participants.

GM(Mining)/HOD(Envt.)
RI-V, Bilaspur

### Distribution:

- 1. DT (O and P&P), SECL, Bilaspur
- 2. CGM (P&P), SECL, Bilaspur,
- 3. RD, RI-V, CMPDI, Bilaspur
- 4. All Area CGMs/GMs, SECL
- GM(F), SECL, Bilaspur
- 6. GM(Envt & WBP), SECL, Bilaspur

Annexine - IV/1

### Minutes of the 36th meeting of the Technical Sub Committee of SECL for Projects held on 44th meeting of the Technical Sub Committee of SECL, Bilaspur Projects held on 14th August, 2012 at DT (O)'s Conference hall, SECL, Bilaspur

### Members participated:

1. Shri P.K.Roy Chowdhury, DT (O), SECL 2. Shri A.R. Komawar, D (F), SECL ,

Chairman. Member

In attendance:

1. Shri S.S.Malhi, CGM (P&P), SECL

2. Shri B.Dayal, RD, RI-V, CMPDI, Bilaspur

3. Shri M.K.Agrawal, GM (P&P), SECL

4. Shri V.G.Pratapan, GM (UG)/HOD, CMPDI, RI-V

The chairman welcomed the members of the 36th Meeting of Technical Sub Committee (TSC) and called the meeting in order.

### 1. Item No. 36.1: Mine Closure Plans of 35 nos. of mines:

Mine Closure Plans of 35 nos. mines were put up before the TSC. These MCPs were discussed by TSC in detail.

During meeting, D (F) opined that the term "Project Area" used in all the Mine Closure Plans needs to be defined / clarified. Definition / Clarification in this regard may be asked from MOC / CMPDIL, Ranchi. After getting above clarification, Mine Closure Plans may be again put up before TSC for consideration.

CMPDI, RI-V was also advised to prepare a comparative chart showing Mine Leasehold Area and Project Area for all these mines for putting up to TSC for perusal.

Meeting ended with vote of thanks to the chair.

Chief Generat Manager (P&P)

Director Technical (Operation)

No. SECL/BSP/P&P/12/ 731

Copy to:

CGM CP/P

D (F), SECL DT (O), SECL

Company Secretary, SECL

RD, CMPDI, RI-V, Bilaspur

GM (P&P), SECL

meximi-

Dated: 16.08.12

Minutes of the 42<sup>nd</sup> meeting of the Technical Sub Committee of SECL for Projects held on 12th Apr' 13 at DT (O)'s Conference hall, SECL, Bilaspur

### Members participated:

1. Shri P.K.Roy Chowdhury, DT (O), SECL 2. Shri A.R. Komawar, D (F), SECL,

Chairman Member

### In attendance:

1. Shri B.Dayal, GM (P&P)/HOD, SECL

2. Shri M.K.Agrawal, GM (P&P), SEC

3. Shri U.T.Kanjarkar, GM (WBP/Environment), SECL

4. Shri Manoj Kumar, RD, RI-V, CMPDI, Bilaspur

5. Shri Abhijeet Sinha, HOD/OC, CMPDI, RI-V, Bilaspur

6. Shri A.Saxena, HOD/UG, CMPDI, 成I-V, Bilaspur

7. Shri D.Mehra, Sr. Manager (Finance) (C&B), SECL

The chairman welcomed the members of the 42<sup>nd</sup> Meeting of Technical Sub Committee (TSC) and called the meeting in order.

### 2. Item No. 42.1: Revised Cost Estimate for Bijari OC Project (1.5 MTY)

Revised Cost Estimate for Bijari OC Project (1.5 MTY) was put up before the TSC. This was discussed by TSC in detail. The observations / recommendations of TSC are as under:

The possibility of dispatch of coal through the proposed rail corridor (East) passing nearby Bijari OC Project was also discussed. TSC opined that this aspect i.e. dispatch through the rail corridor may also be indicated in the RCE once it becomes operational.

TSC recommended that after incorporating the above, RCE for Bijari OC Project (1.5 MTY) may be considered for financial appraisal by Financial Institutions or reputed professional organizations having expertise in the areas as per the office order issued by CIL on 06.06.2009 for projects costing more than ₹ 150 Crores.

### 2. Item No. 42.2: Mine Closure Plans of 35 Nos. mines of SECL

Mine Closure Plans of 35 Nos. Projects / mines of SECL were put up before the TSC namely:

- 1) Jamuna UG mine, J&K Area
- 2) Bartarai UG mine, J&K Area 3) NCC UG mine, Chirmin Area
- 4) Vijay West UG Project, Chirmiri Area
- 5) Rani Atari UG Project, Chirmiri Area
  - 6) Malga UG mine, Hasdeo Area
  - 7) Haldibari UG Project, Hasdeo Area
  - Jhiria UG mine, Hasdeo Area
  - 9) Baiga OC mine, Sohagpur Area

# A. Bhowa Change Die

10) New Amlai UG mine, Sohagpur Area 11) Dhanpuri UG mine, Sonagpur Area 12) Rajendra UG mine, Sohagpur Area 13) Khairaha UG Project, Sohagpur Area 14) Damni UG Project, Sohagpur Area 15) Bangwar UG mine, Sohagpur Area 16) Amlai OC mine, Sohagpur Area .17) Dhanpuri OC mine, Sohagpur Alea 18) Sharda OC mine, Sohagpur Area 19) Surakachar Main mine, Korba Area 20) Surakachar 3 & 4 UG mine, Korba Area 21) Balgi UG mine, Korba Area 22) Banki Main with 9 & 10 incline, Korba Area 23) Surakachar 5 & 6 UG mine, Korba Area 24) Pawan UG mine, Korba Area 25) Bagdeva UG Project, Korba Area 26) Dhelwadih UG mine, Korba Area 27) Singhali UG mine, Korba Area 28) Manikpur OC Project, Korba Area 29) Dugga OC mine, Bhatgaon Area 30) Bisrampur OC mine, Bisrampur Area 31) Ketki UG Project, Bisrampur Area 32) Churcha RO UG Project, Baikunthpur Area 33) Jhilmili UG mine, Baikunthpur Area 34) Katkona UG mine, Baikunthpur Atea 35) Pandavpara UG mine, Baikunther Area The Mine Closure Plans of above Projects / mines were discussed by TSC in detail. TSC recommended for placement of Mine Closure Plans of above Projects / mines Meeting ended with vote of thanks to the chair. General Manager (P&P)/HOD Director Technical (Operation) Dated: 15.04.13 Copy to: D (F) / DT (O), SECL Company Secretary, SECL RD, CMPDI, RI-V, Bilaspur GM (P&P) / All Nodal Officers (P&F

### ITEM NO.213:4:25

Sub: Approval of Mine Closure Plan for 35 Mines / Projects of SECL.

The Board discussed on the subject Mine Closure Plan (MCP) for 35 Mines/Projects of SECL in detail and noted the recommendations of the Technical Sub-Committee on the same at their \*\*200\*TSC\*\* Meeting held on 12:04:2013 and the Board after deliberations approved the MCP of 35 Mines/Projects of SECL recommended by TSC as summarised and brought out in the agenda.

### ITEM NO.213:4:33

Sub: Approval of Evaluation Report on R&D activities of SECL, submitted by National Institute of Technology, Raipur.

The Board after detailed deliberations approved the subject Evaluation Report submitted by the National Institute of Technology, Raipur, on the Research & Development projects undertaken by SECL during 2012-13 as detailed and brought out in the agenda and the Board directed to submit the same to MoC for onward submission to Department of Public Enterprises.

COMPANY SECRETARY

### Distribution:

- 1. GM(P&P)-HOD
- 2. GM(J&K Area)
- 3. CGM (Gevra Area)
- 4. GM(F)-HOD

Copy to: All Functional Directors of SECL

### SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED SEEPAT ROAD, BILASPUR (CG)

@ (Nol2434)

REF.NO.SECL/BSP/CO.SEGY/213BMEXT/13-14/ 131

EXTRACT OF THE MINUTES OF THE 213\* MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED HELD ON SATURDAY, THE
18th MAY, 2013 AT 11.30 AM AT NEW DELHI.

### ITEM NO.213:4:15

Sub: Approval for Hiring of HEMM and allied equipments for QB removal for a quantity of 3.80 MCum for a period of 2 years for Amadand OCP (1.15MTY)

The Board after detailed deliberations approved the subject proposal for Hiring of HEMM and allied equipments for OB removal for a quantity of 3.8 MCum i.e (1.90X2=3.8 M.Cum) for a period of 2 years at Amadand OCP (1.15MTY) as the gap of excavating capacity of 1.9 MCu.M per year exists due to non shifting of 10/70 dragline and 5/45 dragline from Jamuna OCM to Amadand OCP as detailed and brought out in the Agenda.

### ITEM NO.213:4:17

Sub: Capital Budget 2013-14 of SECL

The Board deliberated in detail on the subject Capital Budget 2013-14 of SECL and noted that the Annual Plan 2013-14 from the Ministry of Coal (MoC) is still awaited. However, the Board after detailed discussions agreed with the Capital Budget 2013-14 of SECL amounting to ₹850.00 crores as brought out in the agenda for operating the same provisionally in SECL under intimation to Coal India Limited. Further the Board directed that upon receipt of the Annual Plan 2013-14 from the MoC, the head-wise Capital Budget 2013-14 of SECL be placed before the Board for review and information.

### ITEM NO.213:4:24

Sub: Approval for hiring of HEMM for a quantity of 27.20 MCum OB Removal in a period of three year out of balance shortfall quantity of 55.19 Mcum at an estimated cost of ₹ 140.41 Crores – Gevra Area

The Board after detailed deliberations approved the subject proposal for biring of HEMM for a-shortfall quantity of OB removal of 27:20 M.Cum at an estimated cost of ₹140.41 Crores, in a period of 03 (three) years, against the balance shortfall quantity of 55.19 M.Cum generated from the year 2005-06 to 2011-12 due to delay in high capacity HEMM as detailed and brought out in the agenda.

Concured Modal Officus (PSP)/NOCCP)
Board Hb

### PART - II & III

# DESCRIPTIVE REPORT ON STATUS OF COMPLIANCE FOR THE PERIOD OF JUNE, 2017 -DECEMBER, 2017 TO CONDITIONS OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

EC No- J-11015/72/2004-IA-II(M), dated. 28th July 2005

### A. Specific Conditions

S. No.	Condition	Compliance status
i	No Mining shall be carried out below the Khairaha village located within the core zone.	PP informed that no mining is being done below Khairaha village. All working including plants and machinery are being done as per DGMS permission.
		Being Complied.
ii	Suitable precautionary measures shall be taken to prevent inundation of mine working from peak flow of the Sarpha nallah and Baisaha nallah. Garland drains and protective bunds shall be made before start of actual extraction to prevent entry of water into the workings and avoid inundation in the mine.	The mine opening is more than 5.00 Mtr. HFL comparatively with Sarpha river and Baisaha Nala. At present mine is in developmental stage. Garland drain and protective barrier will be prepared at the time of depillaring of the mine (year of depillaring 2020-21). At present garland drains are provided around the mine premises, and at mine entry.
	And the second s	Being Complied.
iii	Provision of garland drain around the mine should be made to prevent precipitation runoff. The water so collected should be utilized for watering the mine area, roads, green belt development, etc. The drains should be	PP assured that Garland drain be prepared/construct at the time of depillaring. (year of depillaring 2020-21). At present mine is in developmental stage. At present garland drains of 2.5"x2.5" for about
	regularly desilted and maintained properly. Garland drains (size, gradient & length) and sump capacity should be designed keeping 50% safety margin over and above the peak sudden rainfall and maximum discharge in the area adjoining the mine site.	500meters length has been provided around the mine premises, and at mine entry. Collected water is used in continuous miner after treatment in pressure filter.  Agreed to comply with.
iv	Pumps of adequate number and capacity should be provided to drain the mine water even during maximum rainfall.	Sufficient nos. of pumps(4+1=5,1000GPM) installed in mine for dewatering.  Being Complied.
V	A subsidence map showing original surface topography, surface features and super out shall be prepared before expansion is undertaken. A copy of this map shall be furnished to CCF, Bhopal, Regional Office, MoEF, Bhopal.	The surface map shown with all feature and necessary information has been submitted. A subsidence map showing original surface topography, surface features and super out will be prepared before expansion in capacity.
		Agreed to comply with.
vi	Monitoring of the subsidence shall be done on a monthly basis up to 3 years after completion of extraction. A qualified and competent person shall be engaged for C He will report to the company on the visual impacts of subsidence such as formation of subsidence through, change in drainage pattern etc. Copies of all monitoring and compliance reports shall be simultaneously furnished to the APCCF, Bhopal, R.O, MoEF, Bhopal.	Till date no depillaring started, Mine is in developmental stage. As Subsidence do not occurs during development stage of mine. However Monitoring of subsidence will be done on the visual impacts of subsidence such as formation of subsidence and change in drainage pattern.  Agreed to comply with.

vii	Drills should be wet operated or with dust extractors.	The U/G, Drilling & roof bolting is being done wet only. PP use wet operated Continuous Miner system. Being Complied.
viii	Controlled blasting should be practiced with the use of delay detonators.	Currently no blasting is in use, coal extraction is being done with the help of Continuous Miner only.
	· municipality of the second s	Not Applicable.
ix	Afforestation shall cover a total of 20.60 ha] along the ML boundary, roads, etc. In addition, area within township outside the lease area shall be covered under greenbelt. Plantation shall be taken up by planting native plant species in consultation with the local DFO/Agriculture Department. The density of the trees should be around 2500 plants per ha.	PP has taken up Plantation of 5000 Nos.in 2.0Ha.area the Balance will be planted as the mines progresses. PP informed that some area other than mine lease area been planted with 52000 plants in Amarkantak. PP has been advised to take up plantation by planting native plant species in consultation with the local DFO/Agriculture Department.
		Agreed to comply with.
Х	Regular monitoring of groundwater level and quality should be carried out by establishing a network of existing wells and construction of new peizometers. The Monitoring for quantity should be done for minimum four times a year in pre-monsoon, monsoon, postmonsoon and winter seasons and for quality in may.	PP informed that the Ground water level is being monitored with the help of existing tube wells in the mine premise and nearby area, and the records are being maintained. The ground water monitoring report/ data for 4 villages wells from May 2012 to Dec.2017 has been submitted by PP.
	Data thus collected should be submitted to the MoEF and the CGWB, Regional Office quarterly within one month of monitoring.	Being Complied.
xi	The Company shall put up artificial groundwater recharge measures for augmentation of groundwater resource. The project authorities should meet water requirement of nearby village(s) in case the village wells go dry due to de-watering of the mine.	informed that as per CMO, Shahdol Nagar Palika direction the water is being discharged into Sarpha Nallah goes to Sarpha dam for domestic use of Shahdol town. Also the nearby villagers are using
		mine water for agricultural use. The ground water monitoring report/ data for 4 villages wells from May 2012 to Dec.2017 has been submitted by PP. As per record no village well has been dried up.  Being Complied.
xii	Sewage treatment plant should be installed in the existing colony.	
xiii	Digital processing of the lease area using remote sensing techniques should be done regularly once in 3 years for monitoring land use pattern and report submitted to MoEF and its Regional Office at Bhopal.	PP submitted that the mine is in developmental stage and no subsidence has occurred till date. PP
		Agreed to comply with.
xiv	A Final Mine Closure Plan along with details of Corpus Fund should be submitted to the Ministry of Environment & Forests 5 years in advance of final mine closure for approval.	The mine is in development stage and the expected age of mine is up to 2041. PA assured that Final

XV	Consent to operate should be obtained from the SPCB before expansion in production.	At present mine is operating within the permitted capacity and consent has been accorded from MPPCB valid up to 28.2.2019.
xvi	Necessary approval from State Land Use Board shall be obtained for diversion of agricultural land.	Being complied  PP submitted that Acquisition of Land is under Coal bearing areas (acquisition and development) Act, 1957. However, there is no proposal for diversion of agricultural land.
	Marie Land Brown and Land	Agreed to comply with.

### **B.** General Conditions:

S. No.	Condition	Compliance
I	No change in mining technology and scopes of working should be made without prior approval of the Ministry of Environment and Forests.	Agreed to comply with
Ii	No change in the calendar plan including excavation, quantum of mineral coal and waste should be made.	The mine is in operation as per given capacity. The production detail for last three years are as under:  • 2015-16-170300 T  • 2016-17-245670 T  • 2017-18 (target)-500000 T
Iii	Four ambient air quality monitoring stations should be established in the core zone as well as in the buffer zone for RPM, SPM, SO2, NOx, monitoring. Location of the stations should be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets in consultation with the State Pollution Control Board.	As per direction of the MPPCB 4 Monitoring stations are in function in core zone and 4 ambient air quality station in buffer zone as well. Monitoring of Air, Water, & Noise are being done fortnightly and Heavy metals are once in six month and reports are submitted. Random verification of samples is done by MPPCB, Shahdol.  Being complied
Iv	Data on ambient air quality (RPM, SPM, SO2, NOx) should be regularly submitted to the Ministry including its Regional Office at Bhopal and the State Pollution Control Board and the Central Pollution Control Board once in six months.	The AAQ monitoring is done on intervals and data submitted along with six monthly reports. PA has been advised for regular submission of six monthly reports and it's uploading on the website.  Being complied
V	Fugitive dust emissions from all the sources should be controlled regularly monitored and data recorded properly, water spraying arrangement on haul roads, wagon loading, dump trucks (loading & unloading) points should be provided and properly maintained.	Fugitive dust emissions are controlled by road swiping machine, water spraying through mobile water tanker(2) and manually by flexible pipe. Monitoring of Air quality is being done fortnightly, and Heavy metals are done once in six month.

Vi	Adequate measures should be taken for control of	PP has monitored the noise level which is under
VI	noise levels below 85 dBA in the work environment. Workers engaged in blasting and drilling operations, operations of HEMM, etc., should be provided with ear plugs/muffs.	permitted limits. Ear muffs/plugs (In 2016-17-25 nos.) are provided to the blasting crew and to the machine operators (pumps, conveyor belt, SDL, etc.). Also green belt developed around the mine premises, fan house using native species of plants to control the noise level. The data of noise monitoring is submitted along with six monthly reports.
	to to the same of	
		Being complied  The waste water from mine is being settled in
vii	Industrial wastewater (workshop and wastewater from the mine) should be properly collected, treated so as to conform to the standards prescribed under GSR 422 (E) dtd. 19 <sup>th</sup> May 1993 and 31 <sup>st</sup> December 1993 or as amended from time to time before discharge. Oil and grease trap should be installed before discharge of workshop effluents.	underground sump. Thereafter settled mine water discharged to surface settling tanks and clear mine water is discharged into Baisha nallah/Sarpha Nallah. The water quality is being monitored fortnightly & quality is within permissible limit. No workshop effluent is generated.  Being complied
viii	Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.	It is noted that 10-15 dumper/ trucks are used every day. PP keeps the record of PUC certificate. The coal is being transported in optimally loaded covered truck.
		Being complied  The SECL has its lab established under CMPDIL.
ix	Environmental laboratory should be established with adequate number and type of pollution monitoring and analysis equipment in consultation with the State Pollution Control Board	The environmental monitoring is being done by the NABL accredited CMPDIL lab.
	Pollution Control Board	Agreed to comply with
X	Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devises and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Occupational health surveillance programme of the workers should be undertaken periodically to observe and contractions due to exposure to dust and take corrective measures, if needed.	working areas Dust mask provided to persons are engaged in active mining operation (In 2016-17-50 nos.), 33% workforce goes under PME every year (In 2016-17-175 employee). Regular training and information on safety and health aspects is
	If fleeded.	Being complied
xi	A separate environmental management cell with suitable qualified personnel should be set- up under the control of a senior Executive, who will report directly to the Head of the Company.	established as under:

XV	Consent to operate should be obtained from the SPCB before expansion in production.	At present mine is operating within the permitted capacity and consent has been accorded from MPPCB valid up to 28.2.2019.
xvi	Necessary approval from State Land Use Board shall be obtained for diversion of agricultural land.	Being complied  PP submitted that Acquisition of Land is under Coal bearing areas (acquisition and development) Act, 1957. However, there is no proposal for diversion of agricultural land.
		Agreed to comply with.

### **B.** General Conditions:

S. No.	Condition	Compliance
I	No change in mining technology and scopes of working should be made without prior approval of the Ministry of Environment and Forests.	Agreed to comply with
Ii	No change in the calendar plan including excavation, quantum of mineral coal and waste should be made.	The mine is in operation as per given capacity. The production detail for last three years are as under:-  • 2015-16- 170300 T  • 2016-17- 245670 T  • 2017-18 (target)- 500000 T  Agreed to comply with
Iii	Four ambient air quality monitoring stations should be established in the core zone as well as in the buffer zone for RPM, SPM, SO2, NOx, monitoring. Location of the stations should be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets in consultation with the State Pollution Control Board.	As per direction of the MPPCB 4 Monitoring stations are in function in core zone and 4 ambient air quality station in buffer zone as well. Monitoring of Air, Water, & Noise are being done fortnightly and Heavy metals are once in six month and reports are submitted. Random verification of samples is done by MPPCB, Shahdol.  Being complied
Iv	Data on ambient air quality (RPM, SPM, SO2, NOx) should be regularly submitted to the Ministry including its Regional Office at Bhopal and the State Pollution Control Board and the Central Pollution Control Board once in six months.	The AAQ monitoring is done on intervals and data submitted along with six monthly reports. PA has been advised for regular submission of six monthly reports and it's uploading on the website.  Being complied
V	Fugitive dust emissions from all the sources should be controlled regularly monitored and data recorded properly, water spraying arrangement on haul roads, wagon loading, dump trucks (loading & unloading) points should be provided and properly maintained.	Fugitive dust emissions are controlled by road swiping machine, water spraying through mobile water tanker(2) and manually by flexible pipe. Monitoring of Air quality is being done fortnightly, and Heavy metals are done once in six month.  Being complied.

xii	The funds earmarked for environmental protection measures should be kept in separate account and should not be diverted for other purpose. Year-wise expenditure should be reported to the Ministry and its Regional Office located at Bhopal.	Budgeted fund Rs. 50 Lakhs has been provided for environmental protection measures.  Expenditure details are (In 2016-17):  1. Monitoring by CMPDI: 13.66 Lakhs  2. Monitoring by MPPCB: 0.87 Lakhs  3. Water cess-2.17 Lakhs  4. Consent (hazardous waste) - 0.5 Lakhs etc.  5. Construction of Road from PWD Junction to Khairaha UG mine- 639.00 lakhs  6. Construction of village Road- 8.5 Lakhs.  7. Water spraying by water tanker- 1.76 Lakhs  8. Pressure filter installation (2 No)-7 Lakhs.  9. O & M of settling tank- 0.25 Lakhs  10. Rain water harvesting – 2.2 lakhs  Aprrox. Expenditure- 676 Lakhs.
		Being complied
xiii	The Regional Office of this Ministry located at Bhopal shall monitor compliance of the stipulated conditions. The projects authorities should extend full co operation to the office(s) of the Regional Office by furnishing the requisite data/information/monitoring reports.	Agreed.
xiv	A copy of the clearance letter will be marked to concerned Panchayat /local Ngo, if any from whom and suggestion/representation has been received while processing the proposal.	The copy of the clearance letter is marked to concerned Panchayat- Khannat Village panchayat on 01.09.2005.  Complied.
XV	State Pollution Control Board should display a copy of the EC at the RO, District Industry Centre and Collector's Office/Tehsildar's Office for 30 days.	Compiled by MPPCB.
xvi	The PA should advertise at least in two local newspapers widely circulated around the project, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned within seven days of issue of the clearance letter informing that the project has been accorded EC and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and may also be seen at web site of the Ministry of Environment & Forests at <a href="http://envfor.nic.in">http://envfor.nic.in</a>	EC Letter has been circulated through local newspaper and advertisement published+ in local news paper Vindhyanchal, Jabalpur and Samay on 03.09.2005.  Complied.
3.	The Ministry or any other competent authority may alter/modify the above conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.	Agreed Upon.
4.	Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (P) Act, 1986.	Agreed Upon.

5.	The above condition will be in forced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981, the E (P) Act 1986 and the Public Liability Insurance Act 1991 along with their Amendment and Rules made their under and also any order passed by Hon'ble Supreme Court India/High Court of M.P. and any	
	Supreme Court India/High Court of M.P and any other Court of Law Relating to the subject matter.	

### **SUMMARY NOTE:**

- 1. Implementation of Conditions: It is inferred from the above that the implementations of environmental safeguards are found satisfactory and some compliance needs improvements which are in progress, PA has been advised for compliances is to be taken care peri-pasu with mine development and attention is to be given to the vital conditions like environmental management, green belt development, Control of fugitive dust and also the submission of six monthly compliance reports as per stipulations.
- 2. Review w.r.f to MOEFs letter dated 30.05.2012: The above mentioned report is prepared after site visit on 09-05.2018 for the proposed expansion in production from 0.585 to 0.819 MTPA at Khairaha UG mine, Rajendra sub area, village. Khairaha, Shahdol, (M.P.) PP has applied for expansion for which TOR has been issued and the expansion is proposed within the existing lease area.
- 3. Court Cases and show cause/closure notices: PP vide certificate submitted that there is no court case against the project and no show cause/closure notice issued by the SPCB/CPCB during last 3 years.

Dr. S.K.Lal) Scientist-C

### **Consent Order**



M.P. Pollution Control Board E-5, Arera Colony Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP Tele: 0755-2466191, Fax-0755-2463742

**RED-LARGE** 

CCA-Renewal

VALIDITY (A/W): 28/02/2019

CONSENT NO: \*\*\*

PCB ID: 20070

To,

M/s. Khairaha U\g Minesouth Eastern Coalfields Ltd,

126, KHAIRAHA U.G.MINE,

PO KHAIRAHA, City: KHAIRAHA,

Dist: Shahdol, Tal: Sohagpur, SIDC: Not In SIDC

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21

of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

Your Consent to Operate Application Receipt No. 143586 Dt. 23/12/2015 and last communication received on Ref:

Dt.16/02/2016

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 28/02/2019, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter

### SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: 126, KHAIRAHA U.G.MINE, SECL, PO KHAIRAHA, KHAIRAHA, Tehsil Sohagpur, Dist. Shahdol (M.P.),

513.50 Hact b. Mining leased Area:

c. Product & Production Capacity:

Product	CCA Qty
Coal Mining (Metric Ton per year)	585000.00

Note:- For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.

The Validity of the consent is up to 28/02/2019 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

### **Enclosures:-**

- \* Conditions under Water Act
- \* Conditions under Air Act
- \* General conditions



Printed On: 26/02/2016

**ACHYUT ANAND MISHRA** Member Secretary e-Signed On 20/03/2016 22:12:12 (Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server) TPAV # 2YKGBYV2O6





M.P. Pollution Control Board E-5, Arera Colony Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP Tele: 0755-2466191, Fax-0755-2463742

### CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

- 1. The daily quantity of trade effluent shall not exceed 500.00 KL/day, and the daily quantity of sewage shall not exceed 20.00 KL/day.
- 2. Trade Effluent Treatment:-

The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pН	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment: The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

- 4. The effluent shall be treated up to prescribed Standards and reuse in the process, for cooling and for green belt devolvement/gardening within premises. Hence zero discharge condition shall be practiced. In no case treated effluent shall be discharged outside of industry/unit premises.
- 5. Water meter preferably electromagnetic/ultrasonic type with digital flow recording facilities shall be installed separately for category wise consumption of water as per Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act 1977 for Industrial cooling/boiler feed, mine spray, process & domestic purposes and data shall be submitted online through monthly patrak/statements. The industry/unit shall also monitor the treated wastewater flow and report the same online through monthly patrak/statements.
- 6. Any change in production capacity, process, raw martial used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board
- 7. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent
- 8. The specific effluent limitations and pollution control systems applicable to the discharge permitted herein are set forth as above conditions.
- 9. Compilation of Monitoring
- i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
- ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
- iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online the same to the Board.
- 10. Recording of Monitoring

Printed On: 26/02/2016

i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

Consent No:AW-45467, Validity: 28/02/2019, Outward No: 33337, 20/03/2016, TPAV # 2YKGBYV2O6

### **Consent Order**



M.P. Pollution Control Board E-5, Arera Colony Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP Tele: 0755-2466191, Fax-0755-2463742

- ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
  - (I) The date, exact place and time of sampling
  - (ii) The dates on which analysis were performed
  - (iii) Who performed the analysis?
  - (iv)The analytical techniques or methods used and
  - (v)The result of all required analysis
- iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shell include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
- iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

### 11. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

12. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

13. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

### 14. Disposal of Collected Solid

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under HW Rules 2008. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

### 15. Provision for Electric Power Failure

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

### 16. Prohibition of Bypass

Printed On: 26/02/2016

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent in prohibited except:

- i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
- ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.
- 17. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

### Additional Water condition:- (if any) :-

- Mine shall treat and utilize all industrial effluent with in mine premises and Zero effluent discharge shall be implemented.
- 2. Mine shall treat mine water to the extent that it should meet the quality of drinking water source quality standards. The treated mine water should be used for beneficiation purposes such as plantation, irrigation etc.

Consent No:AW-45467, Validity: 28/02/2019, Outward No: 33337, 20/03/2016, TPAV # 2YKGBYV2O6



M.P. Pollution Control Board E-5, Arera Colony Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP Tele: 0755-2466191, Fax-0755-2463742

### CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

Name of section	Control equipment to be installed	P.M.
Mining activity and Transportation,	Dust Suppressor, Green Belt, Water Sprinkler,	150 ug/Nm <sup>3</sup>
Coal Handling Plant	High efficiency Bag Filters, water sprinkling system	150 ug/Nm <sup>3</sup>
Crushing Operation	Water sprinkler system, Conveyor system	150 ug/Nm <sup>3</sup>

- 2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
  - a. Particulate Matter (less than 10 micron) 100 microgram/cubic meter (PM10 mg/m3 24 hrs. basis)
  - b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) 60 -"- (PM25 mg/m3 24 hrs. basis)
  - c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) 80 -"-
  - d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) 80 -"-
  - e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) 2000 -"-
- 3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A0 during night time.
- 4. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.
- 5. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc
- 6. Industry shall take effective steps for extensive tree plantation at least in 03 rows of the local tree species with minimum spacing of 4X4 meter within or around the industry/unit premises for general improvement of environmental conditions and as stated in additional condition

### Additional Air condition:- (if any)

<u>:-</u>

Printed On: 26/02/2016

- 1) Mine management shall install CAAQMS stations at suitable locations to monitor ambient air quality in the leased area and in the vicinity. The mine management shall provide online data connectivity to the server at MPPCB.
- 2) Major approach roads and haul roads shall be metal topped.
- 3) Drills shall be wet operated to reduce the fugitive emission.
- 4) Mining area should be surrounded by green belt having thick canopy of the tree cover.
- 5) CHP shall be operated with high efficiency bag filters, water sprinkling system shall be provided to check fugitive emission from crushing operations, conveyor system, haulage road, transfer points etc.
- 6) Sufficient number of water tanker for water sprinkling shall be provided for the control of fugitive emission from haul road.

Consent No:AW-45467, Validity: 28/02/2019, Outward No:33337, 20/03/2016, TPAV # 2YKGBYV2O6



M.P. Pollution Control Board E-5, Arera Colony Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP Tele: 0755-2466191, Fax-0755-2463742

### **GENERAL CONDITIONS:**

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

### Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny begs etc		Sale to authorized party/As Per CPCB. MoEF Guide lines.

- 2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
- a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
- b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
  - d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
  - e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.
- 3. This consent/authorisation is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the sam
- 4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.
- 5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of HW (M, H & T) Rules 2008 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.
- 6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.
- 7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation
- 8. The industry/unit shall establish a separate environmental cell, headed by senior officer of the unit for reporting the environmental compliances. The industry/ Unit shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
- 9. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.
- 10. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following:
  - (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
  - (b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
  - (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.
- 11. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

### Additional condition:- (if any) :-

Printed On: 26/02/2016

- 1. The Mine shall optimize the water abstraction from the surface water source by utilizing the mine discharge for spraying on haul roads, mine area and loading - unloading area after proper treatment.
- 2. No effluent shall be discharged outside the Mine premises in any circumstances, hence Zero discharge condition shall be maintained.

Consent No:AW-45467, Validity: 28/02/2019, Outward No:33337, 20/03/2016, TPAV # 2YKGBYV2O6

### **Consent Order**



M.P. Pollution Control Board E-5, Arera Colony Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP Tele: 0755-2466191, Fax-0755-2463742

- 3. Adequate & effective precautionary measures shall be taken before and during operation, maintenance and cleaning of pollution control system to avoid any accidental hazard.
- 4. Extensive tree plantation shall be carried out in open areas available within and around the mine premises in consultation with expert agency. Good house keeping practice shall be adopted.
- 5. Mine management shall provide artificial recharger measures, rain water harvesting system.
- 6. The Mine shall improve their existing pollution control facilities and maintain the same properly so that the emission could be maintained within the prescribed standards.
- 7. Controlled blasting should be practiced with the use of delay detonators and only during daytime. The mitigative measures for control of ground vibrations and to arrest the fly rocks and boulders should be implemented.
- 8. Mines waste water (workshop and wastewater from the mine) should be properly collected treated so as to conform to the standards prescribed under GSR (E) dated 19th May 1993 and 31 st December 1993 or as amended from time to time before discharge. Oil and grease trap should be operated before discharge of workshop effluents.
- 9. Mine management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30<sup>th</sup> September every year to the Board.
- 10. Mine shall ensure compliance of all the conditions mentioned in Environmental Clearance order.
- 11. Mine shall comply the provisions of all the relevant Acts/Rules/Directions/Guidelines issued by MoEF/ CPCB/ MPPCB time to time as required and if applicable.
- 12. Mine shall comply the Directions/ Orders issued by Hon'ble Supreme Court/ High Court/ NGT time to time in the relevant Writ Petitions.
- 13. Mine management shall install industrial grade HD IP (Internet Protocol) Pan-Tilt-Zoom (PTZ) Camera with minimum 5X zoom and night vision facility for remote surveillance and constant vigil of emission source and effluent discharge points within 03 months period.
- 14. Mine management shall establish suitable connectivity of IP-Camera with Environment Surveillance Centre at the HQ of M.P. Pollution Control Board for monitoring and data transmission purpose within 03 months period

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of M.P. Pollution Control Board

ACHYUTANANB。研SHRA Member Secretary e-Signed On 20/03/2016 22:12:12

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server) TPAV # 2YKGBYV2O6



Printed On: 26/02/2016



# पर्यावरण अनापत्ति हेतु दिनॉक 30.10.2003 को हुई लोक सुनवाई की शर्ते एव उनका अनुपालन :-

页0	आवश्यक शर्त	अनुपालन	वर्तमान स्थिति
1.	परियोजना के महाप्रबंधक श्री पचीसिया द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार परियोजना हेतु 513. 50 है0 भूमि माइनिंग लीज हेतु पूर्व से उपलब्ध है वर्तमान में केवल 6 हे0 भूमि इन्फ्रा इस्ट्राक्चर के विकास के लिए आवश्यक होगी, जिसका अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। इस 06 हे0 भूमि के अधिग्रहण किये जाने पर पात्र भूमि स्वामी को नियमानुसार रोजगार, मुआवजा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।	वर्तमान में केवल 11.432 है0 भूमि इंफास्ट्क्चर के लिये अधिग्रहीत की गई है। जिसके लिए पात्र भूमिस्वामी को रोजगार दिया जा चुका है।	शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।
2.	परियोजना द्वारा सामुदायिक विकास के कार्यों को करने हेतु व्यय होने वाली राशि का आवंटन नियमानुसार पर्यावरण सरंक्षण मदो को ध्यान में रखते हुए किया जाना होगा।	के कार्य पर्यावरण संरक्षण के मदों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।	शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।
3.	पर्यावरण संरक्षण हेतु जल, वायु,ध्विन प्रदूषण नियंत्रण के लिए सक्षम एवं प्रभावी व्यवस्थाये परियोजना के अन्य निर्माण कार्यों के साथ—साथ पूरा किया जाना होगा। विशेष तौर पर कोयले की परिवहन,लोडिंग,अनलोडिंग, स्टोरेज के द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सक्षम एवं प्रभावी व्यवस्थाये की जानी होगी।	पर्यावरण संरक्षण हेतु जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोयला परिवहन मार्ग में पानी का छिड़काव किया जाता है, तथा साथ ही साथ तारपोलिन से ढंके हुए ट्कों के द्वारा ही कोयला परिवहन किया जाता है।	वर्तमान में शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।
4.	परियोजना द्वारा सामुदायिक विकास कार्यों जैसे- शिक्षा,स्वाख्य, पेयजल, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधायें आसपास के ग्रामवासियों के लिए योजना स्वरूप बनायी जावें एवं उनका क्रियान्वन सुनिश्चित किया जाये।	कार्य हेतु सी० एस० आर० स्कीम के तहत शिक्षा, स्वाश्थ्य, पेय जल, विजली सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई है।	वर्तमान में शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।
5.	परियोजना द्वारा वर्तमान में सी0एम0पी0डी0आई0 नामक अपने सह सरंथान से जल,वायु, ध्वनि मॉनीटरिंग कार्य कराया जाकर रिपोर्ट उपलब्ध करायी है जो कि अधिकांशतः निर्धारित मानको में रहती है, जिस कारण पैनल के सदस्यों ने शंका की स्थिति जताई, साथ ही उपस्थित गणमान्य नागरिको का मत रहा कि मॉनीटरिंग सम्बंधी कार्य म0प्र0 प्रदूषण बोर्ड से कराया जाये।	सी0एम0पी0डी0आइ0एल0 से जल, वायु एवं ध्विन मॉनीटरिंग का कार्य प्रत्येक तीन माह में कराया जाता है तथा साथ ही साथ म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा भी मॉनीटरिंग का कार्य किया जाता है।	वर्तमान में शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।



	â.	वृक्षारोपण कार्य योजनाबद्ध तरीके से न केवल परियोजना क्षेत्र में बिल्क आसपास के गाँवो में भी कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।	02 हे0 भूमि में किया गया है। तथा साथ ही साथ राजेन्द्रा खदान के अन्तर्गत छिरहिटी गॉव के समीप बृक्षारोपण का कार्य 18.60 हे0 में	वर्तमान में शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।
7	7.	श्री अशोक शुक्ला, निवासी ग्राम खैरहा, ने कहा कि परियोजना द्वारा जो जानकारी यहाँ पर दी गयी है उससे सहमत हूँ किन्तु कोल माइस अपने कर्मचारियों के लिए सुविधाएँ मुहैया कराती है, आम लोगों के लिए नहीं अतः उचित होगा परियोजना द्वारा पेयजल व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ आम लोगों के लिए भी बनायी जावें। परियोजना के आसपास अन्य कोल माइस हैं, इस परियोजना के चालू होने से गतिविधियाँ बढ़ेगी, और प्रदूषण बढ़ेगा। परियोजना को उस्ट प्रदूषण नियंत्रण हेतु पानी छिड़काव की व्यवस्था, माइन्स वाटर के उचित प्रबंधन की व्यवस्था करना होगा, जिन लोगों की यदि भूमि अधिग्रहण किया जाता है तो उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाना होगा, परियोजना यदि यह कार्यवाही करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।	किया गया है। पेरियोजना द्वारा पेय जल व्यवस्था हेतु ग्राम खन्नाथ में वाटर टैंक का निर्माण किया जा रहा हैं, एवं डस्ट प्रदूषण नियंत्रण हेतु पानी के छिड़काव के लिए वाटर टैंकर एवं वाटर स्प्रिकंलर लगाए गए हैं। तथा माइन वाटर के टीटमेंट हेतु बनाए गए सेटलिंग टैंक से उपचार के पश्चात ही पानी को खदान के बाहर छोड़ा जाता है। तथा साथ ही साथ अधिग्रही भूमि-स्वामियों को मुआबजा दिया जा चुका है।	वर्तमान में शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।
8	•	श्री चन्द्रशेखर निवासी ग्राम खैरहा, ने कहा कि कोयला खदान से जो पर्यावरण असंतुलन की रिश्यति बनेगी उसके लिये लघुगामी,मध्यमगामी,और दीर्घगामी योजनाएँ बनायी जावे ताकि क्षेत्र का पर्यावरण संतुलित रहे।	पर्यावरण संतुलन के लिए योजना जैसे– बृक्षारोपण, बाउण्ड्रीबाल, सेटलिंग टैंक, रिप्रंकलर एवं रोड का डामरी करण किया जा चुका है।	वर्तमान में शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।
9		श्री सुरेश बुनकर ने कहा कि गाँव के अधिकतर लोग पर्यावरण की चेतना से अवगत नही है, उन्हे पर्यावरण के सम्बंध में जानकारी न होने से पर्यावरण के प्रति सजग नही है। परियोजना द्वारा आम लोगो के लिए भी वे सभी बुनियादी सुविधाएँ जैसे —पेयजल, स्वारथ्य, शिक्षा उपलब्ध करायी जानी चाहियें जैसा कि परियोजना अपने कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराती है।प्रतिपूरक वानिकीकरण परियोजना द्वारा नियमानुसार कराये जाने की आवश्यकता नही है बताया गया फिर भी परियोजना द्वारा आसपास के क्षेत्र में परिवहन मार्गो पर वृक्षारोपण कराया जाना	परियोजना के आस-पास के सभी गावों में कंपनी के नियमानुसार सी०एस०आर० पॉलिसी के तहत पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्थएं की गई है।	वर्तमान में शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।



	चाहिये, जिनका डस्ट कन्ट्रोल हेतु परियोजना		
	अपने कर्मचारियो का मारक उपलब्ध कराती है,		
	आम लोगों के लिए भी व्यवस्था करे।		
10.	श्री अजय जयसवाल ने कहा कि परियोजना	,	वर्तमान में शर्त का
	द्वारा जानकारी दी गयी है कि कोयले का	पास मार्ग बनाया जा चुका है। तथा	अनुपालन किया जा
	परिवहन किया जावेगा व किन–किन मार्गो से	वर्तमान में कोयला परिवहन उसी मार्ग	रहा है।
	होगा बताया गया, रहवासी क्षेत्र से भी परिवहन	से क़िया जा रहा है। तथा साथ ही	
	होगा इस सम्बंध में परियोजना को प्रदूषण	साथ पानी का छिड़काव भी किया जा	
	नियंत्रण हेतु कारगर पहल करना होगी। ताकि	रहा है।	
	रहवासी क्षेत्र के लोगो को कोयला परिवहन के		
	दौरात होते वाली का कायला पारवहन क		
	दौरान होने वाली कठिनाईयों से बचाया जा		
	सके। रहवासी क्षेत्र के दोनो ओर मकान, दुकाने		
1	आदि है, कोयले के ट्रक निकलते है जिससे धूल		
	उड़ती है, व मकानो, दुकानों में जाती है, जिससे		
	काफी क्षति होती है यहाँ तक की दुकानो में धूल		
	भर जाती है, ग्राहक सामान खरीदने से कतराता		
	है। हमारी दुकानदारी कम होती है। अतः		
	परियोजना द्वारा परिवहन मार्गो पर खास तौर		
	पर रहवासी क्षेत्रो में पानी छिड़काव की व्यवस्था		
	करना चाहिये।		•
11	अफसर खान ने कहा कि परियोजना को	सामुदायिक विकाश के कार्य कंपनी	<del></del>
	आवंटित राशि का खर्च, सामुदायिक विकास	के सी0एस0आर0 पॉलिसी के तहत	वर्तमान में शर्त का
	कार्यो व पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सुनिश्चित	किए जाते हैं। एवं पर्यावरण संरक्षण	अनुपालन किया जा रहा है।
	किया जाये। गुझे आपत्ति नही है, खदान खुले,	के लिए भी राषि प्रतिवर्ष खर्च की	761 61
	तभी क्षेत्र का विकास संभव है। श्री खान ने	जाती है। तथा	
	कहा कि परियोजना सी०एम०पी०डी०आई० से	सी०एम०पी०डी०आई०एल० के	
	मॉनिटरिंग कार्य कराती है व रिपोर्ट मानको में	अतिरिक्त म0 प्र0 प्रदुषण नियंत्रण	
	देती है अतः अन्य संस्थाओं से भी मानिटरिंग	बांड के द्वारा भी समय—समय पर	
	करायी जाये ताकि शंका की स्थिति न रहे।	मॉनीटरिंग का कार्य किया जाता है।	
12			
'	जाता है वह कितने दिन चलेगा, इससे बेहतर है		वर्तमान में शर्त का
-	कि परियोक्त्य के क्या (के के	दिया जाने वाला मुआबजा व नौकरी	अनुपालन किया जा
	कि परियोजना, रोजगार/नौकरी देव जिनकी	कंपनी के द्वारा निर्धारित नियमों एवं	रहा है।
	जमीन ली जावे उन्हें नौकरी दी जावे।	भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दिया जाता है।	
	1.0	ायमा जाता है।	

उपक्षेत्रीय प्रबंधक राजन्द्रा उपक्षेत्र

र्भाहागपुर क्षेत्र